कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं का योगदान

(जिला जालौन के विशेष सन्दर्भ में)

एम० फिल० डिग्री के आंशिक भाग की पूर्ति हेतु
प्रस्तुत लघु शोध निबन्ध

प्रस्तुत कर्ता

कु० रञ्जना त्रिवेदी

एम० फिल०

शोध निर्देशक

डा० श्रीराम अग्रवाल

विभागाध्यक्ष

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता विभाग

बुन्देल खण्ड विश्वविद्यालय

झांसी

प्रमाणित किया जाता है कि रन्जना त्रिवेदी छात्रा एम. फिल. ग्रामीण अर्थ शास्त्र एवं सहकारिता विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी ने ग्रामीण महिलाओं का कुटीर उद्योगों में योगदान की स्थिति पर एक अध्ययन (जालौन जनपद के सन्दर्भ में) पर एक लघु शोध प्रबन्ध मेरे निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी, को एम. फिल उपाधि हेतु अग्रेषित किया है।

अध्ययन कार्य का कोई भी अंश किसी अन्य विश्वविद्यालय को इस उपाधि हेतु नहींप्रस्तुत किया गया है।

पुनश्च प्रमाणित किया जाता है कि अध्ययन कार्य इनके द्वारा तुव्यवस्थित ढँग से पूर्ण किया गया है और यह इसकी पूर्णतः भिन्न है।

पर्यवेक्षक

डा0 श्री राम अग्रवाल

ग्रामीण अर्थशास्त्र एवं सहकारिता

विभाग, झाँसी

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय

सूची पत्र

अध्याय	विवरण	पृ0सं0
अध्याय-§1§	प्रस्तावना	1 - 2
अध्याय-§2§	भारतीय अर्थव्यवस्था	3 - 42
	§1§ ग्रामीण क्षेत्र	
	§2§ महत्व	
	§3§ ग्रमीण बेरोजगारी,	
	§4§ आय का निम्न स्तर	
अध्याय-§3§	भारतीय जनसंख्या	43 - 55
	§1§ नगरीय	
	§2§ ग्रामीण	
	§3§ महिला पुरुष अनुपात	
अध्याय-§4§	जालौन जनपद की आर्थिक स्थिति	56 - 73
	जनपद की अर्थव्यवस्था का स्वरूप मूलभूत रूप से	
	ग्रामीण है।	
	कृषि का स्तर	
	औद्योगीकरण की पिछडी स्थिति	
	शिक्षा	
	परिवहन	
	~~कुटीर उद्योग एवं~~ स्वास्थ्य	
अध्याय-§5§	महिलायें एवं कुटीर उद्योग धन्धे	74 - 102

अध्याय	विवरण	पृ०सं०
अध्याय-(6)	कठिनाइयाँ	103 - 106
अध्याय-(7)	ग्रामीण महिलाओं को रोजगार परक कार्यों को प्रोत्साहित करने की संभावनायें।	107 - 112
अध्याय-(8)	निष्कर्ष एवं सुझाव	113 - 119
अध्याय-(9)	सन्दर्भ सूची	120 - 122

भूमिका

भारतवर्ष में महिलाओं के योगदान को सदैव उपेक्षित रखा गया है, चाहे स्वतन्त्रता संग्राम हो चाहे सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, विकास हो, उनके योगदान को सदैव नकारा गया है। इसी लिये राजा राम मोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती, पं० मदनमोहन मालवीय, आचार्य जय शंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं में को न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भगीरथी प्रयास किया वरन् देश के आर्थिक विकास में भी उनके योगदान कोअपरिहार्य समझा। श्रीमती इंदिरा गांधी, पं० विजय लक्ष्मी, सुचिता कृपलानी ने देश व प्रदेश की जो बागडोर संभाली वह इसी का परिणाम है। बिना महिलाओं के योगदान के लघु एवं कुटीर उद्योगों में जो ग्रामीण अंचलों के आर्थिक विकास के लिये प्रमुख आधार है हम सफलता के सही स्वरूप को साकार नहीं कर सकते।

बुन्देलखण्ड में जनपद जालौन में मिली जुली सभ्यता का प्रभाव दृष्टि-गोचर होता है। उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में व पूरब में बेतवा तथा पश्चिम में पहुज नदी इस जनपद की सीमा को सीमांकित करती है। जनपद जालौन की पश्चिमी सीमा मध्य प्रदेश के जनपद भिण्ड से मिलती है। कृषि के दृष्टि से जनपद जालौन सिंचाई के संसाधनों की यथेष्ट सुविधा के अभाव में पिछड़ा है। मसूर, लाही, चना, ज्वार बाजरा यहां की मुख्य फसलें हैं। आर्थिक दृष्टि से यह जनपद पिछड़ा है। क्योंकि इस जनपद में या तो बहुत बड़े काश्तकार है या बहुत छोटे। मध्य वर्गीय काश्तकारों की संख्या बहुत कम है। कुटीर एवं लघु उद्योगों के रूप में

कालपी की टैरीकॉट की प्रगति की दिशा में महिलाओं का प्रशंसनीय योग. दान पाया जाता है जब तक लघु एवं कुटीर उद्योगों में महिलाओं में भागी दारी का तल देंगी उनका सहयोग नहीं लिया जायेगा तब तक इस जनपद के गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वाले को हम आर्थिक रूप से निर्भरबनाने में सफल नहीं हो सकते हैं हमने इस शोध कार्य द्वारा यह प्रयास किया है कि इस जनपद की टूटती हुयी आर्थिक स्थिति को लघु एवं कुटीर उद्योगों में महिलाओं के योगदान से सफल बनाकर उनको कहाँ तक आर्थिक रूप से सक्षम एवं आत्मनिर्भर बना सकते हैं। इस पर प्रकाश डालने का भरपूर प्रयास किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में अर्थ व्यवस्था अल्प विकसित है। इनमें सन्देह नहीं है कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन जी रहा है। इसके साथ ही भारत में संसाधनों का प्रचुर अभाव है। जो संसाधन हैं भी उनका पर्याप्त मात्रा में दोहन भी संभव नहीं है। इसी कारण विश्व के कुछ देशों को छोड़कर भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 1985 में भारत की प्रतिव्यक्ति आय 270 डालर थी। साम्यवादी चीन की 310 डालर की प्रति व्यक्ति आय भी भारत से अधिकहै।

बाजार कीमतों पर प्रतिव्यक्ति आय (डालर में)

देश	1960	1985	औसत वार्षिक वृद्धि दर 1965-84 प्रतिशत
स्विटजरलैंड	1,460	16,370	1.4
यू0एस0ए0	2,500	16,690	1.7
प0जर्मनी	1,220	10,940	2.7
यू0के0	1,260	8,460	1.6
जापान	420	11,300	4.7
भारत	70	270	1.7
साम्यवादीचीन	अनुपलब्ध	310	4.8

-United Nations Statistical Year book, 1977

and world developemnt Report (1987)

कुछ देशों को छोड़कर, भारतवासियों की प्रतिव्यक्ति आय विश्व में निम्नतम है। स्विटजरलैण्ड की प्रति व्यक्ति आय 1985 में स्थूल रूप में भारत की तुलना में लगभग 61 गुना थी। संयुक्त राज्य अमेरिका की 62गुना थी। 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 36 गुना थी। 1985 में चीन की प्रति व्यक्ति आय 310 डालर थी(भारत की 270डालर(और पाकिस्तान की 380डालर।

<u>विश्व की जनसंख्या और विश्व के कुल राष्ट्रीय उत्पाद(जी०एन०पी०(</u>

<u>का 1979 में देशों के विभिन्न वर्गों में वितरण</u>

	कुल जनसंख्या (करोड(	कुल सकल राष्ट्रीय उत्पाद (अरब डालर(	औसत प्रति व्यक्ति कुल उत्पाद(डालर(
निम्न आय वाले देश	226(52.7(	520(5.3(	260
मध्यम आय वाले देश	98.5(22.9(	1400(14.2(	1,400
औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्थायें	67.1(15.6(	6330(64.1(	10,320
पूंजी आधिक्य वाले तेल निर्यातक	2.6(0.6(	140(1.4(	12,630
बाजार मिल अर्थव्यवस्थायें	35.7(8.2(	1485(15.0(	1,640
विश्व जोड़	429.3(100.0(	9880(100.0(	-
भारत	65.9(15.4(	125(1.3(	240

नोट :- ब्रैक्ट में दिये गये आंकड़े कुल विश्व जोड़ का प्रतिशत है=

स्रोत :- World Development Report (1982(से संकलित है।

आंकड़ों से पता चलता है कि जहाँ निम्न आय वाले देशों में कुल जनसंख्या का 53% निवास करता है वहाँ उनको कुल विश्व राष्ट्रीय उत्पाद का 5.3% प्राप्त है। मध्यम आय वाले देशों में कुल विश्व जनसंख्या का लगभग 23% रहता है परन्तु इनको कुल विश्व आय का 14.2% प्राप्त है। विकासशील अर्थ व्यवस्थाओं में विश्व की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या रहती है परन्तु इनमें विश्व के कुल राष्ट्रीय उत्पाद का केवल पांचवा भाग प्राप्त होता है।

अल्पविकसित देशों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में लगा होता है। भारत में 1981 में कार्यकारी जनसंख्या का लगभग 67% कृषि में लगा हुआ था और राष्ट्रीय आय में इसका योगदान 37% था। उद्योगों के भाग का अपेक्षाकृत कम महत्व है। भारतीय ढाचे की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक उत्पादन शील है। भारत में प्रत्येक 10 रोजगार प्राप्त व्यक्तियों में से 7 कृषि में लगे हुये है फिर भी कृषि एक मन्द उद्योग माना जाता है क्योंकि इसमें संलग्न जनसंख्या की उत्पादिता निम्न है।

जन्म और मृत्यु की ऊँची दर अल्पविकसित देश की मुख्य समस्या है। 1941-50 के दौरान भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग 1.25 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी फिर 1981 में वह बढकर 2.5% हो गयी। इसकी तुलना में जन्म दर 1911-20 की अवधि में 49 प्रति हजार थी जो 1981 में घटकर 36 प्रति हजार हो गई। भारत में यह स्थिति विशेष रूप से दिखायी देती है। सातवीं योजना के अनुसार 1985 से 1990 के दौरान

श्रम शक्ति में 390 लाख की वृद्धि होने का अनुमान है। श्रम शक्ति में तीव्र वृद्धि के कारण श्रम का संभरण मॉग से अधिक हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी उत्पन्न होती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था के अल्प विकास का एक मूल कारण पूँजी की न्यूनता है जो दो रूपों में प्रकट होती है। प्रथम प्रति व्यक्ति उपलब्ध पूँजी की निम्न मात्रा और द्वितीय पूँजी निर्माण की प्रचलित निम्न दर।

(कुल देशीय उत्पाद के प्रतिशत के रूप में)

कुल देशीय विनियोग और व्यय

	कुल देशीय विनियोग		कुल देशीय व्यय	
	1965	1984	1965	1984
जापान	32	28	33	31
आस्ट्रेलिया	28	21	26	19
पं0 जर्मनी	28	21	29	33
यू0एस0ए0	20	19	21	16
यू0के0	20	17	19	17
भारत	18	24	16	22

स्रोत :- World Bank, world Development Report (1986)

संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक सर्वेक्षण

में कुल पूँजी निर्माण के आँकड़ों से यह संकेत मिलता है कि

विकसित देशों की तुलना में अल्पविकसित देशों में कुल पूँजी निर्माण कम है। भारत जैसे देशों में जहाँ जनसंख्या की वृद्धि दर 2.5% है (1971-81 के दौरान) बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण उत्पन्न अतिरिक्त भार को संभालने के लिये लगभग 10% अतिरिक्त विनियोग की आवश्यकता है।

विकासशील स्वरूप

भारतीय अर्थव्यवस्था अल्पविकसित है। इसमें अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की लगभग सब विशेषतायें मौजूद है लेकिन जब हम इसे कुछ विगत वर्षों के संदर्भ में देखते है तब इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देते है। ये परिवर्तन अपेक्षाकृत लम्बी अवधि में हुये, जो इसके विकासशील स्वरूप के संकेतक है।

विकास का सबसे अच्छा संकेतक प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में स्थाई वृद्धि को माना जाता है इससे पता चलता है कि देश में विकास हो रहा है। राष्ट्रीय आय में जो इधर वृद्धि हुयी वह अपेक्षाकृत अधिक है। 1950-51 में और 1960-61 के बीच राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि की दर 4.7% थी जो 1975-76 की अवधि में 5.1% हो गयी।

बचत और निवेश में वृद्धि भी विकास का सूचक है। इस दृष्टि से भी भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान समय में विकासशील स्वरूप की झलक मिलती है। यह 1950-51 में 5.5% थी जो बढ़कर 1979-75 में 13.8% के लगभग हो गयी। देश में बचत दर बढ़ रही है। बचत की अनुमानित दर 1950-51 में 5.5 प्रतिशत थी और 1974-75 में 11.8 प्रतिशत। बचत

की तुलना में निवेश में अधिक तेजी से वृद्धि हुयी है। बचत की इस कमी को विदेशी सहायता से पूरा किया गया है। बचत और निवेश में जो वृद्धि हुयी है वह हमारे विकास की आवश्यकता की दृष्टि से बहुत अपर्याप्त है। अनेक देशों की बचत और निवेश दर की तुलना में भी हमारी बचत और निवेश की वर्तमान दरें बहुत नीची है।

विकास का एक अन्य सूचक उत्पादन और उत्पादिता के स्तर का उत्तरोत्तर ऊपर उठना है चाहे कृषि को ले या उद्योग धन्धों को, उत्पादन और उत्पादिता में काफी तेजी से वृद्धि होती नजर आती है। देश में पहले की अपेक्षा अब कृषि उत्पादन की मात्रा तेजी से बढने लगी है और कृषि उत्पादिता भी बढी है उदाहरण के लिये, जहाँ 1900-1955 की लम्बी अवधि में कृषि उत्पादन में कुल 12.6% वृद्धि हुयी। वहाँ 1950-51 और 1970 के मध्य केवल बीस वर्षों मे आधी से भी कम अवधि में इसमें लगभग 91% वृद्धि हुयी। और 1950-51 व 1970-71 के बीच कृषि उत्पादिता में लगभग वृद्धि हुयी।

अस्तु इसमें सन्देह नहीं है कि आजकल भारतीय कृषि विकासोन्मुख है। औद्योगिक क्षेत्र में तो और भी तेजी के साथ विकासमान परिवर्तन होता दिखाइ देता है। जहाँ पहले दस्तकारी या कुटीर उद्योगों का बोलबाला था और आधुनिक ढंग से उद्योग इने गिने थे, वहाँ अब देश में तरह तरह के आधुनिक उद्योग दिखाइ पडने लगे है। उदाहरण के लिये 1960-61 से 1974-75 के चौदह वर्षों की अवधि में औद्योगिक उत्पादन में लगभग 108% वृद्धि हुयी जो वार्षिक दर से लगभग 8% बैठती है।

देश के तैयार इस्पात का उत्पादन 1950-51 में कुल 10लाख टन था जो बढ़कर 1974-75 में 49लाख पहुंच चुका था। आर्थिक क्रियाओं के लिये अत्यन्त आवश्यक पदार्थों जैसे बिजली रसायनिक माल खनिज, लोहा, सीमेन्ट आदि के उत्पादन में भारी वृद्धि होती रहा। राष्ट्रीय आय और रोजगार में उद्योग क्षेत्र का योगदान काफी तेजी से बढ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार की अनुमानित मात्रा जो 1961 में 48लाख थी वह बढ़कर 1974 में 70 लाख के लगभग पहुंच चुकी थी। रोजगार में हुयी यह वृद्धि वार्षिक दर से 3.4% बैठती है, जो कि जनसंख्या में हो रही वर्तमान वार्षिक वृद्धि से अधिक है। औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे इन परिवर्तनों से स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था विकास की दिशा में कदम बढा रही है।

आर्थिक और सामाजिक पूंजी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे है इसका आशय परिवहन सिंचाई, बिजली, बैंक व्यवस्था, शिक्षा स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों से है इन क्षेत्रों में जो परिवर्तन आये है वे देश के स्थाई अंग बन चुके है। परिवहन के क्षेत्र में बडी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। उदाहरण के लिये पहली योजना से चौथी योजना की अवधि 1950-51-1973-74 में रेल परिवहन द्वारा ढाये जाने वाले माल के वजन में ढाई गुना, सडकों की लम्बाई में तीन गुना तथा जहाजरानी में तीनगुना वृद्धि हुयी इस अवधि में सिंचित क्षेत्र भी लगभग दो गुना हो गया।

बैंक व्यवसाय के क्षेत्र में भी प्रगति हो रही है देश में आधुनिक बैंकों की सुविधायें बढ रही है जिसके फलस्वरूप महाजनी सूदखोरी की प्रथा का जोर पहले से बहुत घट रहा है। 1951 में बैंक कार्यालयों की संख्या कुल

4,120 थी जबकि 24 वर्ष बाद 1975 में यह संख्या लगभग 18730 हो गयी। इधर कुछ समय से ग्रामीण क्षेत्रों अपेक्षाकृत पिछडे इलाकों में बैंक कार्यालयों को खोलने का कार्य तेजी से चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य केक्षेत्र में भी प्रगति के चिन्ह दिखायी देने लगे है विभिन्न प्रकार के कालेजों में शिक्षा पा रहे विद्यार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। इन विद्यार्थियों की संख्या *1950-51 में 3.3 लाख और 1974-75 में 32 लाख के लगभग थी। यदि हम साक्षरता का अनुपात देखें तो कुल जन-संख्या में साक्षर लोगों का अनुपात 1951 में 16.6% था जो बढकर 1971 में 29.5% के स्तर को पहुँच गया। यह सब देश में हो रहे विकास का अभिसूचक है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी प्रगति होती दिखायी पडती है जहाँ 1950-51 में अस्पतालों में रोग शैयाओं की संख्या 113 हजार तथा डाक्टरों की संख्या 56 हजार थी वहाँ 1973-74 रोग शैयाओं की अनुमानित 282 हजार तथा डाक्टरों की संख्या 138 हजार के लगभग थी 1941-51 के दशक में मृत्यु दर 27.4 प्रति हजार और औसत जीवन काल 32.5 वर्ष था अब मृत्यु दर 15 प्रति हजार रह गयी और औसत जीवन काल 53 वर्ष हो गया।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। यह न तो विशुद्ध रूप से अल्पविकसित अर्थ-व्यवस्था है और न ही पूरी विकसित। यह दोनों के बीच की स्थिति में है स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त राष्ट्रीय सरकार पंचवर्षीय योजनाओं के

हमारे देश की अर्थव्यवस्था को विकास पथ पर आगे बढने में प्रयत्नशील है। आर्थिक पिछडे-पन के चिन्ह घटने लगे है। विकसित अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषतायें उभरने लगी है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में विकासोन्मुख क तो है ही। लेकिन कुछ देशों के हिसाब से विकास की गति धीमी है, यही कारण है कि देश के आर्थिक ढाचे पर यहाँ की गरीबी और बेकारी पर अभी कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है।

इसके बावजूद, देश में अन्य आर्थिक एवं आर्थिकेतर कठिनाइयाँ आज भी मौजूद है जनसंख्या द्रुतगति से बढ रही है। उधर निर्यात अधिशेष का स्थान आयात अधिशेष ले लिया है। इसमें विकास कार्य अधिक दुष्कर बन जाता है। विदेशी सहायता पर भारी निर्भरता के कारण आज देश को तरह-तरह की मुसीबतों का सामना करना पड रहा है। इसके लिए कराधान नीति, मुद्रा एवं बैंकिग नीति का पूरा-पूरा सहयोग आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त कुछ समय तक हमें कृषि विकास को उच्च प्राथमिकता देनी होगी। कृषि विकास से न केवल खेती में लगे लोगों की आय बढेगी वरन् उनका जीवन स्तर ऊँचा उठेगा। आयात की आवश्यकता घटेगी निर्यात संवर्धन में सहायता मिलेगी औद्योगिक क्षेत्र में कुछ प्रकार के उद्योगों को विशेष बढावा देने की आवश्यकता है विशेष रूप से उन उद्योगों को बढावा देना होगा जो खेती के लिये आवश्यक साज सामान तैयार करने के सम्बन्ध रखते है।

सब प्रकार के उद्योगों के लिये उत्पादिता में वृद्धि लाने एवं लागत को न्यूनतम करने के लिये पूरी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उत्पादन

मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ वे देश-विदेश की मण्डियों में भली प्रकार सामना कर सके।

एक महत्वपूर्ण उपाय परिवार नियोजन से सम्बन्ध रखता है वर्तमान समय में द्रुतगति से बढ़ती जनसंख्या के कारण पूँजी निर्माण का कार्य जटिलकर बनता जा रहा है। राष्ट्रीय आय में अधिक वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में कोई अधिक वृद्धि नहीं हो रही है। विशेष रूप से उत्पादन और निवेश वृद्धि कृषि और लघु उद्योगों को विकास, निर्धन और कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने, चोरी बाजारी और भ्रष्टाचार को दूर करने अनुशासन और कड़ी मेहनत तथा परिवार नियोजन कार्यक्रम पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। वैसे ये उपाय नये नहीं है लेकिन प्राथमिकता देकर इनके कार्यान्वयन पर बल दिया गया है, और जो कदम उठाये गये है उनसे काफी आशा बंधती है। देश की आर्थिक स्थिति इधर सुधरतीनजर आने भी लगी है।

आय के निम्न स्तर

प्रति व्यक्ति निम्न आय :-

भारत में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत नीचा है। 1983 में भारत में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति (जी0एन0पी0) 260 डालर हो गयी थी इसी वर्ष अमेरिका में यह 14,110 डालर थी। इस प्रकार भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की तुलना में $5\frac{1}{4}$ है। ऐसी स्थिति में भारत व अन्य देशों के बीच आय के अन्तरों के घटने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। प्रतिव्यक्ति आय न केवल कम है बल्कि उसमें वृद्धि

भी बहुत धीमी व अनियमित गति से हो रही है। 1970-71 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय लगभग 633रू0 थी जो बढकर 1984-85 में 722 रू0 हो गयी।1970-71 के मूल्यों पर।-

देश में धन व आय के वितरण में भारी असमानता :-

भारत में धन और आमदनी के वितरण में भारी असमानता पायी जाती है। योजनाकाल में भी यह असमानता घटी नहीं है। 1977-78 में राष्ट्रीय सेम्पल सर्वे के 32 वें दौर के अनुसार निम्नतम 10% परिवारों का ग्रामीण क्षेत्रों में कुल निजी उपभोग व्यय में 3.6% तथा शहरी क्षेत्रों में 3.4। अंश था जबकि उच्चतम 10% परिवारों का ग्रामीण क्षेत्रों में 25.6प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 27.5% अंश था इससे उपभोग व्यय की असमानता स्पष्ट हो जाती है। धन के वितरण की असमानता आय के वितरण की असमानता से अधिक पायी जाती है।

कृषि की प्रधानता :-

पिछडे हुये देशों में जनसंख्या का बडा भाग कृषि व्यवसाय में लगा रहताहै जहाँ खनिज पदार्थ पाये जाते है, वहाँ श्रमिकों को खानों में भी काम मिल जाता है। अन्यथा गैर-कृषि क्षेत्रों में रोजगार के साधनों की कमी से जनसंख्या अनिवार्यता खेती की ओर ही झुकती है। इन देशों की राष्ट्रीय आधा या इससे अधिक भाग कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है। भारत में भूमि श्रम अनुपात अनुकूल नहीं है। प्रति व्यक्ति भूमि बहुत कम है अथवा प्रति एकड व्यक्तियों की अधिकसंख्या संख्या अधिक है आज भी

हमारी श्रम शक्ति का अधिकांश भाग कृषि क्षेत्र में नियोजित है। यह असन्तुलित व्यवसायिक वितरण का सूचक है। औद्योगिकरण व आर्थिक विकास एक साथ पाये जाते है। आर्थिक दृष्टि से विकसित देश उद्योग प्रधान होते है। अमेरिका में 2% श्रम शक्ति कृषि में संलग्न पायी जाती है।

कृषि उत्पादन का निम्न स्तर :-

पिछड़े हुये देशों में कृषि व्यवसाय की प्रधानता के साथ-साथ दूसरी विशेष बात यह पायी जाती है कि वहाँ प्रति हेक्टेअर व प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्तर बहुत नीचा होता है। खेत प्रायः छोटे व बिखरे हुये होते है। खेती बहुत पिछडी हुयी दशा में होती है। कृषि के पिछड़ेपन के अनेक कारण है जैसे प्रगतिशील भूमि व्यवस्था का अभाव और संगठन की कमजोरियों का पाया जाना आदि। भारत में यह परिस्थिति विशेष रूप से पायी जाती है। यहाँ अभी तक काश्तकारी प्रथा समाप्त नहीं हुई है और बटाईदारों तथा पटेदारों की आर्थिक दशा काफी शोचनीय है। प्रति एकड़ उत्पादन बढाने की संभावनायें आज भी बनी हुयी है। और इस दिशा में प्रगति करने की आवश्यकता है।

जनाधिक्य की स्थिति :-

अधिकतर अल्पविकसित देशों में जनाधिक्य की स्थिति पायी जाती है। भारत में यह समस्या विशेष रूप से उग्र रूप धारण किये हुये है। भारत में प्राकृतिक साधनों का काफी द्रुत गति से उपयोग करने पर भी

इतनी विशाल जनसंख्या का रहन सहन का स्तर ऊँचा करना कठिन है।

1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 68.5 करोड, व्यक्ति आंकी गयी है। 1991 में यह लगभग 86 करोड है। तीव्र आर्थिक विकास की प्रारंभिक परम्परा में मृत्यु दर तो चिकित्सा व स्वास्थ्य की सुविधायें बढाने से घटने लगी है। लेकिन जन्म दर के कम होने में काफी समय लगता है। इस बीच जनसंख्या का दबाव और भी बढ जाता है अतः जनसंख्या की समस्या विकास में बाधक होती है। अतः जीवन स्तर ऊँचा नहीं हो पाता है। तथा जनसंख्या बढने में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी व अल्प बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल बन जाती है। ऊँची जन्म दर के कारण आश्रितों की संख्या बढ जाती है। भारत जैसे देशों में लाभप्रद रोजगार बहुत कम लोगों को मिल पाता है और श्रम शक्ति का सदैव अपव्यय दिखाइ पडता है।

<u>अत्यधिक दरिद्रता</u> :-

भारत में करोडों नरनारी गांवों व शहरों में निर्धनता की रेखा के नीचे जीवन यापन करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1979-80 के भावों पर प्रति माह 76रू0 से कम व्यय करने वाले तथा शहरी क्षेत्रों में 88रू0 से कम व्यय करने वाले व्यक्ति निर्धनता की रेखा से नीचे माने जाते है। योजना आयोग के अनुसार कुल जनसंख्या में निर्धनता का अनुपात 1977-78 में 48% से घटकर 1984-85 में 37% हो गया। फिर भी इस वर्ष 27.3% करोड व्यक्ति निर्धन माने गये। भारत में निर्धनता काफी मात्रा में व्याप्त है।

पूँजी का अभाव :-

अल्पविकसित देशों में विकास के अवरुद्ध होने का प्रमुख कारण पूँजी का अभाव माना जाता है। राष्ट्रीय आय के कम होने एवं इसका बड़ा अंश उपभोग में व्यय हो जाने से बचत कम हो पाती है अतः पूँजी निर्माण कम हो पाता है।

बचत का उत्पादक कार्यों में प्रयोग होने से पूँजी की कमी सदैव बनी रहती है। इन देशों में पूँजी की माँग उसकी पूर्ति से काफी अधिक होती है। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये पूँजी आवश्यक होती है। श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिये अनेक प्रशिक्षण आदि पर विनियोग करना पड़ता है। पूँजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है। उसकी पूर्ति न होने से विकास का मार्ग रुक जाता है।

भारत में सकल घरेलू बचत बाजार भावों पर सकल घरेलू उत्पत्ति का 1970-71 में 17% थी, जो बढ़कर 1984-85 में 22% हो गयी है। मुद्रा स्फीति के कारण आय का अधिक असमान वितरण होता है। जिससे धनी व्यक्तियों को अधिक बचत होती है। अनिवार्य जमा योजना व विदेशों में बसने वाले भारतीयों द्वारा यहाँ भेजे गये भुगतानों की राशियों के कारण भी बचत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

औद्योगिकरण की धीमी प्रगति :-

सभी अल्पविकसित देशों में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव पाया जाता है। आधारभूत उद्योगों के अभाव में अर्थ व्यवस्था में तीव्र विकास नहीं हो पाया है। कई पिछड़े हुये देशों में उपभोग्य वस्तुओं के कारखाने तो चालू हो जाते है लेकिन इनमें प्रयुक्त होने वाली मशीनें बाहर

से आती रहती है। 1980-81 में भारत में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 96503 फैक्टरियों में केवल 77.2 लाख श्रमिक काम पाये हुये है। 1984-85 में राष्ट्रीय आय का 23% अंश [1970-71 के भावों पर] विनिर्माण निर्माण, विद्युत गैस व जल आपूर्ति से प्राप्त हुआ था। श्रीमती इशर अहलूवालिया के अध्ययन के अनुसार 1966-67 से 1979-80 की अवधि में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 5.7% रही जबकि 1959-60 से 1965-66 की अवधि में 8% रही इस प्रकार औद्योगिक विकास की वार्षिक दर कम हो गयी।

उपर्युक्त सामाजिक वातावरण व मनोवृत्ति का अभाव :-

अल्पविकसति देशों का पिछड़ा हुआ सामाजिक ढाँचा भी उनके विकास में बाधक होता है। जाति प्रथा व संयुक्त परिवार प्रणाली ने श्रम व पूँजी की गतिशीलता को रोका है। प्रेरणा व साहस को निरुत्साहित किया है और आर्थिक पिछड़े पन बनाये रखा है। इन देशों में सामाजिक प्रथाओं पर काफी अपव्यय होता है। लगातार गरीबी में पड़ेरहने से आम जनता में अक्षमत्रि अपनी स्थिति मान बैठती है।

आर्थिक कुचक्रका जोर:-

एक गरीब इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है वास्तव में पिछड़े हुये देशों का यही एक सही चित्र है। इनमें कई आर्थिक कुचक्र चलते रहते हैं। एक गरीब व्यक्ति के पास खाने के लिये पर्याप्त भोजन नहीं होता है। वह कमजोर रहता और काम कम कर पाता है। इस प्रकार गरीबी का कारण गरीबी होती

है। एक दूसरा कुचक्र इन देशों में बचत की कमी होती है जिससे पूँजी का अभाव पाया जाता है। पूँजी की कमी से कम उत्पादन हो पाता है जिससे वास्तविक आय थोडी होती है और परिणाम स्वरूप बचत की कमी होती है। इस प्रकार पुनः चक्र चालू होता है अतः पिछडे हुये देशों में यह कुचक्र चलता है और प्रगति में बाधा डालते रहते है।

बाजार की अपूर्णतायें :-

पिछडे हुये देशों में बाजार की गई अपूर्णतायें देखने को मिलती है। जैसे उत्पादन के साधनों की अगतिशीलता, मूल्यों की कमी में लोचता विशिष्टीकरण का अभाव आदि। इससे साधनों का सर्वोत्तम उपयोग नहीं हो जाता है देश के आर्थिक साधनों का दुरूपयोग भी पायाजाताहै बाजार की अपूर्णताओं के कारण ही विनियोग को प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है।

विद्वानों का मत है कि विकासशील देशों के समक्ष आर्थिक विकास तथा निम्न आय की समस्या बनी रहती है। अल्प विकसित देशों में बचत का अभाव होता है। अतः प्रारम्भ में जिन क्षेत्रों को लाभ होता है उन्हें विकास के लिये साधन प्रदान करने में अधिक योगदान देना चाहिये। तभी आर्थिक कुचक्र तोडे जा सकते है। ग्रामीण विद्युतीकरण परिवहन व बिक्री सुविधाओं का विस्तार करके विकास की प्रक्रिया को सुदृढ कर सकते है। जिससे आय का स्तर ऊँचा उठे। आर्थिक विकास के आधुनिक साहित्य में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को बढाने के स्थान पर रोजगार बढाने निर्धनता कम करने तथा आय व धन की असमानताओं को कम करने पर

तथा आय का स्तर बढ़ाने पर अधिक बल दिया जाना चाहिये।

राज्यों के अनुसार राष्ट्रीय आय का वितरण

विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में 1971-72 व 1981-82 वर्षों में प्रचलित मूल्यों पर जो परिवर्तन हुये है वह निम्न है।

(प्रचलित भावों पर)

राज्य	1971-72 प्रति व्यक्ति राज्यीय आय	1981-82
पंजाब	1121	3169
हरियाणा	966	2607
महाराष्ट्र	808	2496
गुजरात	827	2192
पश्चिम बंगाल	779	1615
कर्नाटक	698	1538
आन्ध्र प्रदेश	627	1537
केरल	592	1445
राजस्थान	560	1441
तमिलनाडु	648	1427
उड़ीसा	473	1308
असम	548	1302
उत्तर प्रदेश	497	1296
मध्यप्रदेश	534	1240
बिहार	415	1007
समस्त भारत	660	1741

अन्तराज्यीय आय में असमानता कम होने के ~~xxxxx~~ बजाय बढी है। पंजाब व बिहार की आय में 1971-72 में 2.7% का अनुपात था जो बढकर

ग्रामीण अर्थव्यवस्था :-

भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 15.2.% निवास करता है, जबकि विश्व में कुल क्षेत्रफल का 2.4% और विश्व की कुल आय का 1.7% ही देश के हिस्से में आया है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्वमें सातवाँ स्थान आता है। भारत का क्षेत्रफल रूस का 1/7 व अमेरिका का 1/3 है लेकिन निरपेक्ष रूप से यहाँ का क्षेत्रफल काफी बडी क्षेत्रफल होने से यहाँ खनिज पदार्थ जलवायु आदि की विविधता पायी जाती है। भौगोलिक क्षेत्रफल एवं तदनुसार विपुल प्राकृतिक साधन भारत की सबसे बडी सम्पत्तियों में से एक है।

भारत 5,76,126 लाख गावों का देश है जहाँ लगभग 70% जनसंख्या निवास करती है। इनका मुल पेशा कृषि तथा मजदूरी है। 1971 के आकडों के अनुसार मुख्य क्रिया के आधार परलगभग देश के 72% श्रमिक कृषि में तथा शेष 28% उद्योग व सेवाओं में लगे है। इससे देश के व्यवसायिक ढाचे में कृषि की भारी प्रधानता का स्पष्ट बोध होता है। दो तिहाई से भी अधिक कार्यशील जनसंख्या खेती में लगी हुयी है।

भारत में 7.5 करोड हेक्टेअर में वन फैले हुये है जो देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 23% है वनों का सब राज्यों में समान वितरण नहीं है। वन संरक्षण का ज्ञान होने के कारण हमारे वनो की

वार्षिक प्रति हेक्टेअर उत्पादकता अन्य देशों की तुलना में कम है।

भारत में समुद्र तट 3530 मील में फैला हुआ है समुद्र से खनिज भी प्राप्त होते है। समुद्र सोडियम, पोटेशियम, मैगनीशियम, ब्रोमाइन व क्लोराइन का महत्वपूर्ण साधन हो सकता है खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत की स्थिति अच्छी है।

31 मार्च 1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सिर्फ 29.55% व्यक्ति शिक्षित है 28मार्च 1989 तक देश में 5,29,322 प्राइमरी 15,498 उच्चतर माध्यमिक स्कूल है जिनमें से दो तिहाई से अधिक गावों में है फिर भी निरक्षरों की संख्या अधिक है। क्योंकि गावों में लोगों की समस्या शिक्षा नहीं रोटी है।

गांधी जी अपने आदर्श गांव की कल्पना के बारे में लिखा था। "औद्योगिकरण की अपेक्षा ग्रामीण जनता की मूल आवश्यकतायें भोजन वस्त्र व आवास की सुविधा पर अधिक महत्व दिया जाना है।"

<u>इण्डिया पत्रिका</u>

कहना न होगा कि "भारत गांवों में बसता है और कृषि भारत की आत्मा है" अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर है तथा कृषि मानसून का जुआ बनी हुयी है। भारत सरकार ने ग्रामीण विकास की दिशा में कई उल्लेखनीय कदम उठाये है। सरकार ने कई योजनायें क्रियान्वित की है। जैसे अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा इसी क्रम में समन्वित कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कार्यक्रम इत्यादि क्रमश: लागू किये गये है।

सन् 1960-61 में सीमान्त जोतों की संख्या 199 लाख थी और उनके अधीन 88 लाख हेक्टेअर भूमि थी परन्तु 1970-71 में जोतों

क्रि

सन् 1960-61 में सीमान्त जोतों की संख्या 199लाख थी और उनके अधीन 88 लाख हेक्टेअर भूमि थी परन्तु 1970-71 में जोतों की संख्यालढाकर 357 हो गयी और इस प्रकार 1 हैक्टेअर से कम आकार वाली जोतों के अधीन 146 लाख हैक्टेअर क्षेत्र था 1980-81 में जोतों की संख्या बढ़कर 505 लाख हो गयी। जोत का आकार जो 1970-71 में 0.4 था वह गिरकर 0.39 हो गया। 77.3% कृषि भूमि पर वर्षा के सहारे खेती की जाती। यहाँ की पिछडी एवं अनिश्चित खेती का यह प्रधान कारण है। सिंचाई के साधनों को मोटे तौर पर चार कोटियों में बाँटा जाता है। नहरें, कुयें, तालाब तथा अन्य। सिंचाई का सबसे बडा साधन नहरे है। लगभग 41% सिंचित क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाइ की जाती है। देश में नहरी सिंचाई के लिये पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्यपदेश, उत्तर प्रदेश विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रत्येक योजना के अधीन निबल सिंचित क्षेत्र में वृद्धि हुयी है। 1950-51 में निबल सिंचित क्षेत्र 209 लाख हेक्टेअर था जो बढकर 1971-72 में 316 लाख हेक्टेअर हो गया है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये पशुधन का स्थान विशेष महत्व रखता है। देश की कृषि एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में पशु अनेक दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण ठहरते है। एक अनुमान के अनुसार फसलों के उत्पादन में पशुओं का योगदान एक आगत या साधन के रूप में 8% से 42% तक बैठता है। योजना आयोग के अनुसार पशु उत्पादों का निबल मूल्य 670करोड रूपये है जो कुल कृषि आय का 16% बैठता है। पशु

कृषि क्षेत्र में विभिन्न रूप में सहायक होते है। भारत में पशुधन की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। भारत में सब प्रकार के पालतू पशुओं की संख्या 35.47 करोड है। देश में कोई पाँच हजार गौशालायें है लेकिन इनमें रखे हुये पशुओं में से 20% ही प्रजनन के काम के लिये ठीक है।

ग्रामीण बेरोजगारी और आय के निम्न स्तर

भारतीय अर्थव्यवस्था में श्रम की अधिकता है और भूमि व पूँजी का अभाव है। देश में कृषि गत क्षेत्र की आर्थिक जीवन में प्रधानता है। भूमि पर जन भार अधिक है। और जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि की दर अधिक है। भारत में आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा है, जिसमें सीमित मात्रा में ही श्रम शक्ति को रोजगार मिला हुआ है। कुटीर व लघु उद्योगों में कुल रोजगार की मात्रा तो बडे पैमाने के उद्योग से अधिक है। लेकिन इनके विकास के सम्बन्ध में तमाम समस्यायें है। जिससे बेरोजगारी की स्थिति दिनों दिन बढती जा रही है।

बेरोजगारी की यह समस्या ग्रामीण क्षेत्र में अधिक व्यापक और गहन है। बेरोजगारी के प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप निर्धनता, अभाव, कुपोषण एवं अल्प पोषण की समस्यायें उत्पन्न होती है। समाज में उत्पादक रोजगार में कमी के कारण लोगों की अनिवार्यतायें भी पूरी नहीं हो पाती है जिससे आय प्राप्ति की सम्भावनायें घट जाती है। बेरोजगार स्वयं तो कुंठा और तनाव का जीवन बिताता ही है साथ ही वह सामाजिक उत्पादन में कोई योगदान किये बिना सामाजिक उत्पादन का एक अंश उपयोग भी करता है। जिससे समाज में प्रतिव्यक्ति उत्पाद उपलब्धता कम हो जाती है।

योजनाकाल में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के प्रयासों के बाद भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रथम कृषि जाँच समिति 1950-51 में कुल ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 28 लाख थी। द्वितीय योजना के आरम्भ में अवशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 1950-51 के बराबर ही मानी गयी है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये यह अनुमान किया गया था कि इस अवधि में ग्रामीण श्रम शक्ति में 72लाख की वृद्धि होगी। इस प्रकार योजना के अन्त तक कुल 1करोड़ रोजगार अवसरों की आवश्यकता होगी। यह भी अनुमान किया गया था कि द्वितीय योजना काल में लगभग 80लाख अवसरों का सृजन होगा जिसमें 65 लाख रोजगार अवसर कृषि क्षेत्र में होंगें।

अल्प निष्पादन के कारण द्वितीय योजना के अन्त में अवशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 90लाख हो गयी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रलेख में यह अनुमान था कि 1966 में ग्रामीण क्षेत्र में अवशिष्ट, बेरोजगारों की संख्या 70लाख थी। भारत में बेरोजगारों की समस्या पर नियुक्त भगवती समिति (कमेटी अन एम्प्लायमेंट) 1973 में बेरोजगारी का अनुमान करने के लिये राष्ट्रीय न्यायदर्श सर्वेक्षण के 19 वें दौर के आँकड़ों का प्रयोग कर यह अनुमान किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र में 92 लाख दिहाड़ी वर्ष बेरोजगारी थी। इसमें से 78.2 लाख पूर्णतः बेरोजगार थे।

1971 में कुल ग्रामीण बेरोजगारों की संख्या 2.62 करोड़ थी। जिससे से 83 लाख पूर्णतयः बेरोजगार थे और 1 करोड़ 79 लाख अल्प रोजगार की स्थिति में थे। 1978-83 के योजना प्रलेख में यह उल्लेख

किया गया है कि 1973 में कुल बेरोजगारों की संख्या 1 करोड 1 लाख थी जो 1978 में बढकर 1 करोड 11 लाख हो गयी। छठी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया कि 15वर्ष से अधिक आयु वर्ग में लोगों में अवशिष्ट बेरोजगारों की संख्या 1980 में 1 करोड 14.2लाख थी।इसमें अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र के लोग है। सातवीं योजना के आरम्भ में 5+आय वर्ग के लोगों में अवशिष्ट बेरोजगारों का अनुमान 92 लाख लगाया गया है।

कुल बेरोजगारी के सन्दर्भ में योजना आयोग का अनुमान है कि 1951 में देश की कुल जनसंख्या 36 करोड 30लाख में से कुल बेरोजगारों की संख्या 33 लाखथी। इस प्रकार 1951 में जहाँ देश की कुल जनसंख्या में बेरोजगारों का प्रतिशत .9 था वहाँ अब कुल जनसंख्या में बेरोजगारों का प्रतिशत बढकर 3% हो गया। इससे यह स्पष्ट है कि समग्र अर्थव्यवस्था में कुल बेरोजगारों की संख्या और प्रतिशत बढ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में इसकी सघनता अधिक है। वस्तुतः यह समस्त ग्रामीण जनसंख्या जो गरीबी रेखा से नीचे है या तो बेरोजगार है या अल्परोजगार की स्थिति में है। फलतः इनको निम्नतम भरण पोषण भर की आय नहीं मिल पाती है। इनके पास वर्ष भर के लिये लाभदायक रोजगार नहीं होता है। इन ग्रामीण बेरोजगारों की संरचना में सीमान्त और कुछ स्थानों के लघु कृषक,ग्रामीण कारीगर, ग्रामीण शिल्पकार और भूमिहीन खेतिहर मजदूर सम्मिलित है। इन सबके पास आय सृजन की कोई स्थाई परिसम्पत्ति नहीं है।वर्तमान अधिकांश शिक्षित युवक अपने को परम्परागत पारिवारिक व्यवसाय में समायोजित नहीं कर पाते है। अतः शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ

रही है। इसके कारण एक नवीन सामाजिक तनाव उत्पन्न हो रहा है।

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी का स्वरूप नगरीय बेरोजगारी से भिन्न प्रकृति का है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का परम्परागत स्वरूप और आर्थिक प्रक्रियाओं की प्रकृति उसे नगरीय बेरोजगारी से भिन्न बना देती है, ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप प्रच्छन्न बेरोजगारी और अल्प रोजगार का है। ग्रामीण क्षेत्र में पूर्णतः बेरोजगार लोगों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। श्रम शक्ति बढ़ने के साथ-साथ भूमि पर रोजगार प्राप्त हेतु दबाव बढ़ता जा रहा है यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि 1951 में कृषि क्षेत्र पर कार्य करने वालों की संख्या 10.06 करोड़ थी जो 1971 और 1981 में बढ़कर क्रमशः 12.58 करोड़ और 14.68 करोड़ हो गयी। कृषि क्षेत्र में कार्यकरने वालों की संख्या में वृद्धि की तुलना में कृषि क्षेत्र में रोजगारों की बढ़ोत्तरी नहीं हुयी। इससे कृषि क्षेत्र में जनाधिक्य की समस्या स्पष्ट है। यदि आज कृषि क्षेत्र कुछ जनसंख्या हटा दी जाये तो भी समग्र कृषि उत्पादन में कमी न होगी। यद्यपि ग्रामीण समुदाय प्रकट रूप से कार्य में लगा हुआ प्रतीत होता है जब कि वास्तविक रूप में वह बेरोजगार है। ग्रामीण क्षेत्र की श्रम शक्ति के एक महत्वपूर्ण वर्ग को पर्याप्त कार्य उपलब्ध नहीं होता है। सामान्य रूप से यह माना जाता है कि किसी अर्हय व्यक्ति को दिन में 8घंटे और इस प्रकारवर्ष में 273 दिन कार्य मिलना चाहिये किन्तु ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश स्वरोजगारों की समस्या अपेक्षित मान तक कार्य न उपलब्ध होना है। लघु एवं सीमान्त कृषकों, छोटे ग्रामीण व्यापारियों, कृषि श्रमिकों,

ग्रामीण शिल्पकारों को पूरे समय का काय नहीं मिल पाता है।

ग्रामीण बेरोजगारी की दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इसके मौसमी होने से सम्बद्ध है। मौसमी बेरोजगारों का समय भिन्न-भिन्न स्थानों पर पृथक-पृथक है। हरित क्रान्ति में दुफसली और बहुफसली क्षेत्र बढने के कारण रोजगार संभावना बढी है। ग्रामीण हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के कारण ग्रामीण श्रम शक्ति विशेषकर महिलायें अपने अवशिष्ट समय का प्रयोग नहीं कर पाती है। ग्रामीण श्रमिकों की गतिशीलता अपेक्षाकृत कम है कुछ ग्रामीण तो अपनी श्रोतों के बाहर जाना नहीं चाहते है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 16वें दौर के आकडों के अनुसार 1970-71 में लघु कृषक परिवारों में से केवल 27.5% परिवारों के सदस्य अपने गावों को छोडकर वैकल्पिक रोजगार की खोज में बाहर जाना चाहते है। सवेक्षण के अनुसार लघु कृषक परिवारों में से परिवारों के सदस्य वैकल्पिक रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक थे और केवल 36.9% परिवारों के सदस्य गांव छोडने के प्रति तत्पर थे। इनसे ग्रामीण श्रमिकों की सीमित गतिशीलता का आभास होता है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आंकडों के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार महिलाओं का औसत पुरुष श्रमिकों की तुलना में सदैवअधिक रहा है। कतिपय कृषि कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में काय का अभाव सा है। ग्रामीण निर्माण कार्यो में उनका समावेश अत्यन्त कम हो जाता है। असंगठित क्षेत्रों में उन्हें जो कार्य मिलना भी है, उसकी मजदूरी अत्यन्त कम है। अशिक्षा, पारिवारिक दायित्व और पारिवारिक लगाव के कारण उनमें गतिशीलता की कमी पायी जाती है। 1961 में निम्नवग

10% परिवारों का अंश कुल ग्रामीण क्षेत्र की परिसम्पत्ति में केवल 0.9% था। 1971 में भी अक्त प्रतिशत यही रहा निम्नतम 30% परिवारों के कुल ग्रामीण परिसम्पत्ति के 50% भाग के स्वामी ग्रामीण क्षेत्र के केवल 10% परिवार है।

स्पष्ट है कि गरीब परिवार के पास नाम मात्र की परिसम्पत्ति है वस्तुतः वे समस्त परिवार गरीबों की कोटि में है। जिनके पास 1961 की कीमतों के अनुसार 1,000 रू0 की परिसम्पत्ति है। कीमत वृद्धि समयोजित करने से 1971 की कीमतों पर यह राशि 2500रू0 हो जाती है। कुल ग्रामीण परिवारों में इस प्रकार के गरीब परिवारों की संख्या 1961 में 30% थी जो 1971 में बढकर 35% हो गई। इस विश्लेषण से आशय की पुष्टि होती है। कि ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य आधार उत्पादक परिसम्पत्ति के असमान वितरण में निहित है।

वर्तमान बेरोजगारी की समस्या वस्तुतः हमारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों के समक्ष चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान रोजगार अवसरों को कृषिगत और गैर कृषिगत अवसरों को बढाया जा सकता है। वर्ष 1984-85 में 18.67 करोड मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार अवसरों में से केवल कृषि द्वारा प्रदत्त रोजगार 9.61 करोड मानक व्यक्ति वर्ष था। कृषि की उपयुक्त तकनीकी प्रयोग करके, पशुपालन और दुग्ध व्यवसाय विकसित कर, मत्स पालन की व्यापक संभावनाओं का विदोहन कर और वृक्षारोपण में सघन प्रयास द्वारा कृषिगत

रोजगार में वृद्धि की जा सकती है। यह अनुमान किया जाता है कि वर्षा पर निर्भर क्षेत्र लगभग 70% है जिसका उत्पादन कुल उत्पादन का केवल 42% है। ग्रामीण और कृषि रोजगार में वृद्धि के लिये आवश्यक है कि वहाँ अवस्थापनागत सुविधाओं में प्रसार किया जाये। इनमें सिंचाई कार्य ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़क भवन निर्माण एवं कृषि सेवा केन्द्रों का विकास रोजगार वृद्धि में सहायक होगा। कृषि उपज की प्रक्रिया करने वाली इकाइयों के प्रसार से ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार अवसर सुलभ कराने में सहायता मिलेगी।

ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण वहाँ के कमजोर वर्गों के पास उत्पादक स्थाई परिसम्पत्ति की कमी है। समस्त राज्यों में मार्च 1980 तक 15.764 लाख हेक्टर भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की गयी है। परन्तु इनमें से केवल 9.56 लाख हेक्टेअर भूमि का अधिग्रहण किया जा सका है और उनमें से केवल 6.79 लाख हेक्टअर भूमि का वितरण किया जा सकता है।

देश में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिये दो सूत्रीय कार्यक्रम बनाये गये भूमिहीन मजदूरों और शहर के शिक्षित युवक युवतियों को काम दिलाने के लिये लागू किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को काम दिया जायेगा। शहरी क्षेत्र में लगभग ढाइ लाख पढे लिखे युवक युवतियों को काम दिलाने को काम दिलाने का आश्वासन दिया गया है।

छठीं योजना में 3.56 करोड मानक व्यक्ति वर्ष की वृद्धि

हुयी है। इस योजना में रोजगार वृद्धि की दर 4.32% प्रतिवर्ष रही है। रोजगार अवसरों की वृद्धि में रोजगार सृजन कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सातवीं योजना में 4 करोड मानक व्यक्ति वर्ष अतिरिक्त क्षमता की वृद्धि हुयी है। श्रम शक्ति की अनुमानित वृद्धि 2.6% प्रतिवर्ष हुयी। योजनाकाल में प्रस्तावित रोजगार वृद्धि का लगभग 50% भाग कृषि खनन और बागान के क्षेत्र से होगा। इससे स्पष्ट है कि सातवीं योजना ग्रामीण रोजगार वृद्धि के प्रति विशेष सचेष्ट थी।

इनदेशों में पूंजी की मांग उसकी पूर्ति से काफी अधिक होती है। भूमि की उत्पादकता बढ़ाने के लिये पूंजी आवश्यक होती है। श्रमिकों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये उनके प्रशिक्षण आदि पर विनियोग करना पड़ता है। पूंजी की उत्पादकता बढ़ाने के लिये पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार चारों ओर से पूंजी की जाती है और उसकी पूर्ति पर्याप्त रूप से न होने से विकास का मार्ग रुक जाता है।

भारत में सकल घरेलू बचत बाजार भावों पर सकल घरेलू उत्पा-उत्पत्ति का 1970-71 में 17% थी, जो बढ़कर 1984-85 में 22% हो गयी है। यह मध्यम आय वाले तथा ऊँची आय वाले देशों की बचतकी दर समान हो गयी है, मुद्रास्फीति के कारण आय का अधिक असमान वितरण हुआ है जिससे धनी व्यक्तियों ने अधिक बचत की है। अनिवार्य जमा योजना व विदेशों में बसे भारतीयों द्वारा यहां भेजे गये भुगतानों की राशियों के कारण भी बचत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है।

औद्योगीकरण की धीमी प्रगति:-

सभी अल्पविकसित देशों में आधुनिक ढंग के बड़े पैमाने के उद्योगों का अभाव पाया जाता है। आधारभूत उद्योगों के अभा में अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास नहीं हो पाया। कई पिछड़े हुये देशों में उपभोग्य वस्तुओं के कारखाने तो चालू हो जाते हैं, लेकिन इनमें प्रयुक्त होने वाली मशीनें बाहर से आती रहती है। 1980-81 में भारत में उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार 96503 फैक्टरियों में केवल 77.2 लाख श्रमिक काम पाये हुए थे। 1984-85 में राष्ट्रीय आय का 23% (1970-71) के भावों पर) विनिर्माण, निर्माण, विद्युत गैस व जलपूर्ति से प्राप्त हुआ था। श्रीमती इंशर अहलूवालिया के अनुसार 1966-67 से 1979-80 की अवधि में औद्योगिक विकास की वार्षिक दर 5.7% रही। जबकि 1959-60 से 1965-66 की अवधि में 8% रही इस प्रकार औद्योगिक विकास की वार्षिक दर कम हो गयी है।

उपयुक्त सामाजिक वातावरण व मनोवृत्ति का अभाव:

अल्पविकसित देशों का पिछड़ा हुआ सामाजिक ढाँचा भीउनके विकास में बाधक होता है। जाति प्रथा व संयुक्त परिवार प्रणाली ने श्रम व पूंजी की गतिशीलता को रोका है। प्रेरणा व साहस को निरुत्साहित किया है और आर्थिक पिछड़ेपन को बनाये रखा है।

ग्रामीण महिलायें सामान्य रूप से किस तरह कृषि एवं घरेलू कार्यों में मदद करती है।

देश की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग महिलाओं का है।

देश के मानव संसाधनों का पूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त भागीदारी प्रदान की जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी की आवश्यकता काफी बढ़ी है। ग्रामीण विकास हेतु सरकार ने जो भी कार्यक्रम बनाये हैं उनमें ग्रामीण महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया ताकि महिलाओं का आर्थिक एवं सामाजिक स्तर ऊँचा उठ सके।

महिलाओं के विकास हेतु विशेष कार्यक्रमः-

वर्ष 1982-83 में ग्रामीण महिलाओं तथा बच्चों के विकास हेतु योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं का समूह बनाया जाता है। प्रत्येक समूह में 15-20 महिलायें होती हैं। प्रत्येक समूह को 15,000 रू0 इसलिये दिये जाते हैं कि वे इनसे उत्पादन हेतु कच्चा माल क्रय कर सके। स्वयं के द्वारा उत्पादित माल का विपणन कर सके तथा बच्चों की देखभाल कर विभिन्न कार्य कर सकें। वर्तमान में यह योजना देश के 161 जिले में चालू है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में 30,000 समूहों को इस योजना के अन्तर्गत सहायता पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में 1985-86 से 1988-89 तक 22,400 समूह बनाये जा चुके थे। इन समूहों में 3 लाख 80 हजार महिलायें सम्मिलित थी। दिसम्बर 1989 तक इस योजना 8028 समूह बनाये गये जिसे 52745 महिलायें सदस्य थी।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के उद्देश्य से बनाये गये इस कार्यक्रम में प्रथमक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्र में उत्पादन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। यह सहायता अनुदान तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले सावधि ऋणों के रूप में होती है।

इस कार्यक्रम में भी महिलाओं को प्रधिनिधित्व देने के प्रयास किये गये। वर्ष 1989-90 में इस कार्यक्रम में महिलाओं को दिये गये स्थान निम्न तालिका में है

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में महिलाओं की सहभागिता

क्र.सं.	विवरण	वास्तविक संख्या
(1)	कुल लक्ष्य	2908897
(2)	कुल उपलब्धि	1995589
(3)	महिलाओं कावरेज	480706
(4)	महिलाओं का कवरेज (प्रतिशत)	24.06

इस तालिका से स्पष्ट है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वालों में महिलाओं की संख्या 480106 थी जो कि कुल लाभ प्राप्त करने वालों का 24.06 प्रतिशत था।

जवाहर रोजगार योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निर्मित यह योजना फरवरी 1989 में देश के 120 पिछड़े हुये जिलों में गहन रोजगार अवसर जुटाने हेतु लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित किये गये हैं।

वर्ष 1989-90 के दौरान राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों को योजना चलाने हेतु दिये गये अनाज सहित कुल 2100 करोड़ रू० केन्द्र द्वारा आवंटित कियेगये। वर्ष 1989-90 के दौरान कुल 45 करोड़ 66 लाख 20 हजार कार्य दिवसों का सृजन कर रोजगार प्रदान किया गया है। इस योजना में दिसम्बर 1989 तक प्रदत्त रोजगार में महिलाओं का भाग 23.15 प्रतिशत था। इस योजना के अन्तर्गत संचालित सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के पेड़ों के पट्टे महिलाओं के नाम पर ही दिये जाते हैं।

ट्राइसेम योजना :-

ग्रामीण युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहित करने के लिये बनाई गयी यह योजना समन्वित विकास कार्यक्रम की घटक है। इसके अन्तर्गत 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवक/ युवतियों को समुचित प्रशिक्षण प्रदान कर बैंकों तथा विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना में लाभ पाने वालों में कम से कम 33.3% स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित है।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के दिसम्बर 1989 तक इस कार्यक्रम में महिलाओं की स्थिति निम्न तालिका में स्पष्ट की गयी है।

ट्राइसेम योजना में महिलायें

क्र0सं0	विवरण	वास्तविक संख्या
(1)	प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	69136
(2)	प्रशिक्षित युवाओं में महिलाओं की सं0	30911
(3)	महिलाओं का प्रतिशत	48

इस तालिका से स्पष्ट है कि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना के अन्तगत महिलाओं के लिये निर्धारित 33.3 प्रति0 भागीदारी की तुलना में 45% भागीदारी प्राप्त हुयी जो निर्धारित से 11.7.1 अधिक है।

कापार्ट योजना

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु उन लोगों को सम्मिलित किया जाना आवश्यकहै जिनके लिये कार्यक्रम बनाये गये हैं। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु लोक कार्यक्रम तथा ग्राम टैक्नोलोजी परिषद (कापार्ट) की स्थापना की गयी। परिषद विकास योजनाओं को जनता की भागीदारी से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से स्वयं सेवी तथा गैर सरकारी ऐजेंसियों की सहायता लेता है। कापार्ट को जिन विभिन्न योजनाओं हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है उनमें महिला तथा

बाल विकास कार्यक्रम भी सम्मिलित है। सातवीं योजना के प्रथम चार वर्षों में (1985-86 से 1988-89 तक) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम हेतु कुल 400 करोड रु0 की राशि कापार्ट को उपलब्ध कराई गई। वर्ष 1988-89 से 31 दिसम्बर 1989 तक इस योजना में 75 लाख रू0 की राशि उपलब्ध करायी गयी।

कापार्ट उन ग्रामीण तकनीकों तथा नये साधनों को प्रोत्साहित करती है जिनके माध्यम से घर के काम काज व अन्य गतिविधियों में महिलाओं पर काम के बोझ को कम करने हेतुसहायता मिल सके।

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम

इस कार्यक्रम मे भी महिलाओं की भागीदारी निश्चित की गयी है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में महिलाओं के महत्व को समझा जाने लगा है। इन कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु परामर्श जानकार तथा देखभाल के जरिये महिलाओं को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा चुका है।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। राज्यों से की? कीा गया है कि वे भूमिहीन परिवारों को दी जाने वाली जमीन के सभीपट्टों को स्त्री पुरूषों के संयुक्त नाम से जारी करें ताकि महिलाओं को भी समुचित हक मिल सके।

इस प्रकार विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण

महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान कर उसकी स्थिति में सुधार हेतु प्रयास चल रहे हैं। ग्रामीण विकास हेतु तैयार की गई योजनाओं में महिलाओं हेतु निर्धारित न्यूनतम स्थानों की पूर्ति भी नहीं की जा सकी है। इनमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है।

इन कार्यक्रमों में प्रायः महिलाओं के नाम से आवंटित सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता। ग्रामीण महिलाओं का शैक्षिक तथा सामाजिक स्तर इतना ऊँचा नहीं है कि वे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त कर सकें तथा उनमें भागीदारी ले सकें। इस हेतु शिक्षित किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण विकास हेतु निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों तथा उनके अंतर्गत महिलाओं को प्राप्त हो सकने वाली सुविधाओं की जानकारी महिलाओं को प्रदान करना आवश्यक है।

विभिन्न कार्यक्रमों में लाभ कीप्राप्ति हेतु निर्धारित औपचारिकतायें भी पूरी करना महिलाओं के लिये काफी कठिन होता है। विभिन्न कार्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी हेतु निर्धारित स्थान 30 से 33.33% तक है जबकि उनकी संख्याउससे कहीं अधिक है। अतः ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में महिलाओं की प्रभावीभागीदारी प्राप्त करने के उद्देश्य से इनका प्रतिशत बढ़ाया जाना आवश्यक है।

इन मजदूर महिलाओं को केवल कतीहुयी इमारतों में ही

नहीं, बल्कि सड़क की खुदाई, मिट्टी, ढुलाई, मिट्टी तोड़ना, गलीचे की बुनाई, यहाँ तक कि बारातों में रोशनी के हंडे सिर पर उठाये देखे जा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में महिला मजदूरों की अधिकता होती है उनमें एक है बीड़ी उद्योग/ इस उद्योग की विशेषता यह है कि आधुनिकीकरण के बावजूद इसका सारा काम अभी तक हाथों से ही होता है। पत्तों में तम्बाकू भरना धागा लपेटना, उन्हें बंडल में भरना उस पर लेबिल लगाना सारा कार्य हाथों द्वारा ही होता है। यही नहीं बड़ी बीड़ी बनाने की प्रक्रिया तो तेंदू पत्ते को तोड़ने व बीनने से शुरू हो जाती है।

बीड़ी बनाने वाली महिलाओं की दैनिक आय अन्यक्षेत्रों की मजदूर महिलाओं से काफी कम है। बैंगलू, जबलपुर, रामपुर, तथा महासमुद्र में आज भी बीड़ी मजदूरों को लगभग साढ़े दस रू० दिये जा रहेहैं। बीड़ी के दामों में पिछले वर्ष भारी वृद्धि हुयी लेकिन उसके अनुपात में बीड़ी उद्योग में लगी महिला मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ी। बीड़ीसिगार एक्ट 1966 के अनुसार बीड़ी श्रमिकों को बोनस, सवेतन अवकाश ग्रेच्युटी, न्यूनतम वेतन, छुट्टी की वैधानिक व्यवस्था चिकित्सा सुविधा, भविष्य निधि तथा महिला श्रमिकों को प्रसूति अवकाश मिलना चाहिये।

चाय की पत्तियाँ चुनने का काय भी महिला श्रमिकों के बिना नहीं हो सकता है। लेकिन समस्यायें यहां भी वही है यहां उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। यह तो घर की चार -

दीवारी से निकल कर खेतों व कारखानों में काम करने वाली मां श्रमिकों की दास्तान है कुछ महिलायें घरों में काम करती है जैसे कप की गुड़िया बनाना, लाख की चूड़ी बनाना, सुहाग बिन्दी के पैकिट भरना। सिलाई, कढ़ाई व राखी आदि के कार्य करना। इन कार्यों में भी उन्हें बजार दर से कम मजदूरी मिलती है।

डवाकरा योजना

महेन्द्रगढ़ जिला में ग्रामीण क्षेत्रों में "डवाकरा" योजना के तहत अब तक 270 महिला समूहों का गठन किया जा चुका है। इन महिला समूहों में से प्रशिक्षण के उपरान्त 104 समूहों ने अपने स्वयं साय का कार्य शुरू कर लिया है। प्रशिक्षण प्राप्त समूहों को अपना कार्य शुरू करने के लिये 15 हजार रू0 प्रति समूह के हिसाब से धनराशि दी गयी है जो कि उनके संयुक्त खाते में जमा करवाई गयी है।

जिन महिलाओं ने अपना काम शुरू किया है उनमें से सबसे अच्छा काम बेकरी का काम करने वाली महिला समूह का रहा है। इन समूहों द्वारा बनाये गये सामान की बिक्री के लिये जिला ग्रामीण विकास ऐजेन्सी द्वारा समाज कल्याण विभाग से भी सम्पर्क किया गया है। अब तक 23 लाख रू0 की सप्लाई की जा चुकी है। अब तक 1.5 लाख दरिया एक्सपोर्ट की जा चुकी है इसके अतिरिक्त 13 महिला समूह ऐसे है जो कताई के काम में लगे हैं। इन समूहों को खादी ग्रामोद्योग के साथ जोड़ दिया गया है। भारतीय नौ सेना द्वारा 1.5 लाख रू0 की बनियान व तकिया के गिलाफ बेचे जा चुके हैं। जो महिला समूह मुद्रा

बनाने, वान बनाने तथा पेन रिफिल तैयार करने के व्यवसाय में लगे हुये हैं अगर इन संस्थाओं को सरकारी आडर मिलने लग जायें तो अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं विशेष तौर से स्कूलों के लिये चाक, डस्टर, टाट, पट्टी आदि।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार

ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र यानि बागवानी मछली पालन, दुग्ध उत्पादन चारा उत्पादन आदि में महिलाओं के मौजूदा कार्यकौशल में सुधार करने तथा समुचित प्रशिक्षण पर बल दिया गया।

संभावित, ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियो की संख्या व उत्पादन क्षमता बढायी जायेगी। छठी योजना के दौरान इस कार्यक्रम को देश के सभी 5092 विकास खण्डों में लागू किया गया था। सातवीं योजना में 2 करोड़ लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन परिवारों को प्राथमिकता दी गयी जिनकी मुखिया महिलायें थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी स्कीम के अधीन महिलाओं को समुचित रोजगार देने पर बल दिया गया।

ग्रामीण व लघु उद्योग

महिलाओं के विकास कार्यक्रमों को लागू कर रही राज्य स्तरीय एजेन्सियों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को ऐसे उद्योग प्रायो-

जित करने को कहा गया ताकि महिलाओं को उनके आसपास अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। सातवीं योजना के दौरान नये शिल्प विज्ञानों का सूत्रपात करके तथा उन्नत प्रशिक्षण के माध्यम से विशेषता के लिये कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा। कार्य कुशल उत्पादन में वृद्धि करने तथा कुशल रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारीगरों, प्रबन्धकों, पर्यवेक्षकों और उद्यमियों के लिये तैयार किये गये विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया। कार्यकुशल रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कारीगरों, प्रबन्धकों पर्यवेक्षकों और उद्यमियों के लिये एक व्यापक प्रशिक्षण चलाने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जायेगा।

इस समय महिला उद्यमियों को औद्योगिक शैड जैसी बुनियादी सुविधायें प्रदान की जा रही है। क्योंकि यह सुविधायें पर्याप्त नहीं है, इसलिये केवल महिलाओं के लिये बड़े पैमाने पर लघु औद्योगिक एस्टेटों की स्थापना की जायेगी।

महिलाओं द्वारा संचालित यूनिटों और महिला श्रमिकों को और रोजगार देने वाली यूनिटों को रियायती दर पर शैड और प्लाट जैसे विशेष सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी।

श्रम और उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ भोगियों को महत्व दिया जायेगा नारियल, जटा, रेशम उद्योग कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहां रोजगार की काफी सम्भावनायें हैं। आशा है इस क्षेत्र में अधिक रोजगार मिलेगा।

खादी और ग्रामोद्योग:-

इस समय खादी और ग्रामोद्योग में 38 लाख लोग रोजगार पर लगे हुये हैं सातवीं योजना में रोजगार पाने वालों की संख्या लगभग 58.6 लाख तक बढ़ गयी है। इसके अतिरिक्त रोजगार का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं को जायेगा और योजनाकाल में महिलाओं की संख्या 46 से 48% तक बढ़ जायेगी।

महिलाओं को हर प्रकार की सुविधायें देकर उनमें स्वाभाविक गुणों का विकास कर उन्हें देश की विकास गतिविधियों में शामिल करने के लिये कई नये कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस दिशा में "महिला विकास निगम" नामक एक नई योजना शुरू की गयी है। कुछ पेरक योजनाओं परियोजनाओं के लिये धन की भी व्यवस्था की गयी है और अपेक्षित सफलता मिलने पर उनका अधिक विस्तार किया जायेगा।

xx

§11§

भारतीय जनसंख्या

जनसंख्या वास्तव में देश की सच्ची परिसम्पत्ति होती है। वहाँ का आर्थिक जीवन विकास तथा सुख समृद्धि बहुत बड़ी सीमा तक जनसंख्या के आकार एवं गुण कोटि सम्बन्धी बातों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिये जनसंख्या ही श्रम, संगठन और उद्यम का स्रोत है जो उत्पादन का मूलभूत एवं सक्रिय साधन है। इन्हीं मानवीय साधनों के द्वारा उत्पादन के अन्य साधनों भूमि और पूंजी का उपयोग होता है और इन्हीं के प्रयास से नये नये उद्योगों का उदय एवं उत्पादन तकनीकि में सुधार बहुत कुछ निर्भर है इस प्रकार देश में कुल उत्पादन मात्रा अथवा राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का विशेष महत्त्व है।

जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान आता है 1981 की जनगणना के आधार पर भारत की जनसंख्या 6852 करोड़ है विश्व की जनसंख्या का लगभग 15.2% भारत मेंनिवास करता है। 1983 में अमेरिका की जनसंख्या 23.4 करोड़ तथा रूस की 27.2 करोड़ थी। इस प्रकार भारत की जनसंख्या इन दोनों के जोड़ से अधिक है। विश्व के प्रत्येक सात व्यक्ति में से एक भारतवासी है। भारत के पास विश्व के कुल क्षेत्रफल का केवल 2.5% अंश है यहाँ की जन संख्या विश्व की कुल आय के 1.6% पर गुजारा करती है।

1911-1981 की अवधि में जनसंख्या की वृद्धि दर

जनसंख्या का वर्ष	कुल जनसंख्या करोड़ में	दसवर्षीय वृद्धि पर प्रतिशत में
1911	25.2	5.7
1921	25.1	(-) 0.3
1931	27.9	11.0
1941	31.9	14.2
1951	36.1	13.3
1961	43.9	21.5
1971	54.8	24.8
1981	68.52	25.0

स्रोत: इण्डिया, 1984, पे. 7

के0 सुन्दरम् का मत है कि 1981 की जनगणना में कुछ लोग गिनती से छूट गये थे विशेषतया 0-4 वर्ष के आयु समूह में। उसको सुधारने पर 1 मार्च 1981 को संशोधित जनसंख्या 70.35 करोड़ आती है जो जनगणना के अंक से 1.8 करोड़ अधिक है।

1911 में भारत की जनसंख्या लगभग 25.2 करोड़ थी 1981 में बढ़कर 68.52 करोड़ हो गयी। 1951-81 की अवधि में भारत में

32.4 करोड़ व्यक्ति बढ़े जो अमेरिका या रूस में से किसी भी एक की वर्तमान जनसंख्या से अधिक है। 1971-81 की अवधि में भारत की जनसंख्या में 13.7 करोड़ की वृद्धि हुयी जो ब्राजील एवं जापान की जनसंख्या से अधिक है क्योंकि इनमें से प्रत्येक की जनसंख्या लगभग 12 करोड़ है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति जुड़ जातेहैं। इस प्रकार भारत में प्रतिवर्ष एक आस्ट्रेलिया उत्पन्न हो जाता है क्यों कि वहाँ की कुल जनसंख्या भारत की वार्षिक जनसंख्या की वृद्धि के बराबर है जबकि वहाँ का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2½ गुना है इस से भारत में जनसंख्या के दबाव का अनुमान लगाया जा सकता है।

पूर्व तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में 1921तक जनसंख्या की वृद्धि बड़ी धीमी व अनियमित बनी रही, लेकिन 1921 के बाद जनसंख्या की वृद्धि तेज व कुछ नियमित हो गयी है। ‖

‖ यह 1921 महान विभाजक है तो 1951-61 की अवधि को आगे की ओर एक लम्बी छलांग कहा जा सकता है। विश्व में 1973-83 की अवधि में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि पर सबसे अधिक संयुक्तअरब अमीरात में रही जो 11.3% थी। यू.के. में यह नगण्य थी एवं जर्मन फेडरल रिपब्लिक में 0.1 ‖माइनस ऋणात्मक‖ रही।

भारत के लिये विशेष चिन्ता का विषय यह है कि यहाँ की वार्षिक निरपेक्ष वृद्धि काफी ऊँची है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1.5करोड़ व्यक्तियों का बढ़ जाना रोजगार, खाद्यान्न, उपभोग के स्तर, प्रति

व्यक्ति वास्तविक आय, जीवन स्तर, निर्धनता, शिक्षा चिकित्सा आदि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला तत्व है। हमारे देश में प्रत्येक डेढ़ सेकेंड में एक बच्चा जन्म लेता है और प्रतिदिन 55 हजार नये बच्चे जनसंख्या में जुड़ जाते हैं।

भारत में जन्म दर व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

भारत में ये आंकड़े बहुत अपूर्ण व कम विश्वसनीय माने जाते हैं। हमारे देश में जन्म व मृत्यु दर का भली भांति रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाता है इसलिये रजिस्ट्रेशन से प्राप्त आंकड़े व जनगणना से प्राप्त आंकड़ों में अन्तर पाया जाता है। 1981-85 की अवधि में जन्म दर 33.2 प्रति हजार तथा मृत्यु दर 12.2 प्रति हजार एवं जनसंख्या की वृद्धि दर 21.0 प्रति हजार आंकी गयी है।

उत्तर प्रदेश में जन्म दर 40.4 प्रति हजार तथा केरल में 25.2 प्रति हजार है। इन्हीं राज्यों में मृत्यु पद क्रमशः 20.2 प्रति हजार तथा 7 प्रति हजार है।

चुने हुये देशों की जन्म दरें व मृत्यु दरें निम्नतालिका में दीजाती हैं।

	प्रति एक हजार जनसंख्या पर (सन 1982)	
	कुल जन्म दर	कुल मृत्यु दर
जर्मनी	10	12
संयुक्त राज्य अमेरिका	16	9

जापान	13	6
भारत	34	13

इस प्रकार विश्व के औद्योगिक देशों में जन्म दर व मृत्यु दर दोनों काफी नीची है। उपर्युक्त तालिका में सभी देशों में जन्म दर भारत की तुलना में आधी या उससे कम है।

भारत में जनसंख्या के बढ़ने के प्रमुख कारण है। पिछले वर्षों में मृत्यु दर के घटने से जनसंख्या की वृद्धि और भी अधिक होने लगी है लेकिन आधार-भूत कारण अब भी वही है, वे ही भारत में प्रमुख रूप से उत्तरदायी माने जा सकते हैं। भारत में जनसंख्या की वृद्धि के निम्न कारण हैं।

§1§ जलवायु व भौतिक परिस्थितियां:-

गर्म देशों में ठण्डे देशों की तुलना में शादी जल्दी कर दी जाती है क्योंकि जलवायु के प्रभाव से परिपक्वता की अवस्था शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। इसलिये सन्तानोत्पत्ति की अवधि अधिक होने से जन्म दर का ऊँचा होना स्वाभाविक है।

§2§ आर्थिक कारण:-

प्राय: देखा जाता है कि साधारण आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के परिवार बड़े होते हैंजबकि अच्छी आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों के परिवार छोटे छोटे होते हैं। गरीब परिवारों में एक नवागन्तुक से रहन सहन के स्तर पर विशेष प्रभाव नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें जीवन -

स्तर का अर्थ ही नहीं समझा जाता है। इसलिये निर्धन परिवारों में शादी करने व बच्चा पैदा करने के सम्बन्ध में काफी असावधानी बरती जाती है।

§3§ सामाजिक व धार्मिक कारण:-

भारत में प्रत्येक व्यक्ति को शादी करनी होती है। शादी की प्रथा सर्वव्यापक है। शादी एच्छिक नहीं अनिवार्य मानी जाती है। भारत में गरीबी शादी में बाधक न होकर साधक मानी जाती है। अपेक्षा कृत कम उम्र में शादी होने से भी जन्म दर ऊँची होती है। यदि शादी की वर्तमान आयु को 4 वर्ष भी आगे खिसका दिया जाय तो जन्म दर में गिरावट आयेगी।

§4§ संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रभाव:-

भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली परोक्ष रूप से जन्म दर बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुयी है। नया बालक या बालिका बड़े परिवार में भार स्वरूप नहीं लगते हैं। परिवार नियोजन की दिशा में विवेकपूर्ण दृष्टि-कोण के पनपने के लिये व्यक्तिगत परिवारप्रणाली उपयुक्त मानी जाती है।

§5§ शरणार्थियों का आगमन:-

1964 के प्रारम्भ में पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने का भी प्रभाव पड़ा है। लगभग तीन महीनों में दो लाख से अधिक शर-

शरणार्थी भारत में प्रवेश कर गये हैं।

§6§ <u>भारत में जनसंख्या की वृद्धि में मृत्यु दर की गिरावट का अत्यधिक प्रभाव पड़ा है:-</u>

अनुमान है कि मृत्यु दर चालीस कीशताब्दी में 27.4 प्रति हजार से घटाकर 1981-85 की अवधि में 12.4 प्रति हजार हो गयी है। भविष्य में मृत्यु दर में गिरावट आने की सम्भावना है। भारत में जनसंख्या इसलिये नहीं बढ़ रही है कि अधिक बच्चे जन्म लेने लग गये है, बल्कि यह इसलिये बढ़ रही है कि पहले की अपेक्षा कम लोग मरने लगे हैं। अतः भविष्य में जन्मदर का घटना अवश्यक है हो गया है।

<u>ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या</u>

गाँवों की प्रधानता अल्पविति अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता होती है। यहाँ अधिकांश लोग गांवों में रहते हैं। नगरों की संख्या इनी गिनी होती है और जनसंख्या का छोटा भाग नगर निवासी होता है। भारत के सम्बन्ध में यहविशेषता स्पष्ट दिखाये देती है। 1971 की जनगणना के समय देश की कुल जनसंख्या 54.8 करोड़ थी। इसमें से 43.9 करोड़ लोग गांवों में और 10.9 करोड़ लोगशहरों और कस्बों में रहते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि देश की लगभग 70% जन संख्या ग्रामीण है और केवल 30% जनसंख्या शहरी है स्पष्टतः भारतीय लोग मुख्यतः गांवों में रहते हैं। संख्या की दृष्टि से तो देश की शहरी

आबादी इंग्लैण्ड, फ्रांस, ब्राजील अथवा जापान जैसे देश की कुल आबादी से भी अधिक ठहरती है। लेकिन कुल आबादी में शहरी जनसंख्या के अनुपात की दृष्टि से विश्व के अनेक देशों की तुलना में भारत का स्थान काफीनीचा है। जहाँ कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का भाग भारत में कुल 30% है, वहाँ यहभाग आस्ट्रेलिया में 86% इंग्लैण्ड में 70% अमेरिका में 74% जापान में 72% तथा सोवियत संघ में 59 प्रतिशत के लगभग है।

विभिन्न प्रकार के नगरों के अनुसार जनसंख्या का प्रतिशत वितरण

श्रेणी	ग्रामीण			
	1907	1937	1961	1971
1	एकलाख व अधिक जनसंख्या	22.93	27.37	48.37	56.0
2	50हजार 99,999 जनसंख्या	11.84	11.95	11.89	11.0
3	20हजार 94,999 ,,	16.50	18.76	18.53	16.0
4	10हजार 19,999 जनसंख्या	22.06	18.97	13.03	11.0
5	5हजार 9,999 जनसंख्या	20.38	17.32	7.23	5. 0
6	5हजार से कम जनसंख्या	6.29	5.63	0.95	1. 0
योग	1,00,00	1,00,00	100,00	100,00	

स्रोत Census of India, 1961 Census Gentenary, 1972

जनसंख्या डायरी उ0प्र0 भारतीय जनगणना स्रोत 1981

Density of Population

किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या को वहाँ के कुल क्षेत्रफल से भाग देकर उस देश या स्थान की जन सघनता मालूम की जा सकती है। जन सघनता से भूमि मनुष्य अनुपात का बोध होता है। जनसघनता बे अनेक प्राकृतिक और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। जैसे कि भूमि का धरातल, मिट्टी, वर्षा, जलवायु आर्थक संसाधन, आर्थिक विकास की अवस्था आदि। इनके सम्बन्ध में भिन्न-2 स्थानों की स्थिति अलग-2 होती है। वैसे तो सारे देश के लिये जनसंख्या का घनत्व 178 प्रति वर्ग किमी. बैठता है, लेकिन देश के लिये भिन्न-भिन्न राज्यों या प्रदेशों, शहरों की जनसघनता में भारी अन्तर पाया जाता है। 1971 की जनगणना के अनुसार जहां दिल्ली में 2738, चण्डीगढ़ में 2257 केरल में 549, पश्चिम बंगाल में 504 बिहार में 324 तथा उत्तर प्रदेश में 300 है, वहां उड़ीसा में 141 मध्य प्रदेश में 94 राजस्थान में 75, नागालैण्ड 31 तथा अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में 14 है।

विभिन्न राज्यों में जन सघनता

(1981) (1991) प्रति वर्ग किमी.

राज्य	1981	1991
चंडीगढ़	3961	5620

राज्य	1981	1991
चंडीगढ़	3961	5620
केरल	655	747
पश्चिम बंगाल	615	766
बिहार	402	497
उत्तर प्रदेश	377	471
उड़ीसा	169	202
मध्य प्रदेश	118	147
राजस्थान	100	128
लक्षदीप समूह	1258	1615

Gensus of India
1991 Pay 19

एक ही राज्यके विभिन्न भागों में भी जनसघनता में बड़ा अंतर पाया जाता है। देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्त्व के सम्बंध में अन्तर पाये जाने का कारण भारत मुख्यत: खेतिहर देश है। कृषि पर जलवायु, भूमि के स्वरूप वर्षा, सिंचाई आदि बातों का विशेष प्रभाव पड़ता है। उत्तर भारत में भूमि काफी उपजाऊ है, इसलिये यहाँ की सघनता अपेक्षा कृत अधिक है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप अनेक बड़े-2

नगरों की उन्नति हुयी है और उस ओर जनसंख्या का भाग खिंच गया है। जैसा दिल्ली, बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद।

Sex Composition

स्त्री पुरुष अथवा लिंग अनुपात की दृष्टि से किसी देश की जनसंख्या का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। लिंग अनुपात का जन्म और मरण दर के निर्धारण में काफी हाथ होता है। सामान्य तौर परपुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के सम्बन्ध में मृत्यु दर नीची होती है क्योंकि प्रकृति की ओर से स्त्रियों को बीमारियों से लड़ने के लिये अधिक शक्ति प्राप्त है और इस कारण भी सामान्यत: पुरुषों को अपेक्षाकृत अधिकजोखिम पूर्ण व्यवसायों में काम करना पड़ता है। अत: स्त्रियों का अनुपात कमहै तो मृत्यु दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरे लिंग अनुपात विवाह दर एवं बच्चों की संख्या को प्रभावित करता है तीसरे, प्रतिकूल लिंग अनुपात (अर्थात जबकि स्त्रियों का अनुपात कम हो) तरह तरह की सामाजिक व नैतिक बुराइयों को जन्म मिलता है।

1971 की जनगणना के समय भारत में कुल 28 करोड़ पुरुष(51.7 प्रतिशत) तथा (26.40%) स्त्रियाँ थी यदि एक हजार पुरुष के अनुपात में स्त्रियों का औसत लिया जाय तो यह 1971 में 930 के लगभग आयेगा। आज 1991 की जनगणना पर यदि दृष्टिपात डालें तो स्त्रियाँ 1000पुरुष पर 882 (25.16) हैं 1981 में 885 (25.49%) थी। इसका अर्थ यह हुआ कि पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या देश में कम है और निरंतर

कम होती जा रही है। यह एक विलक्षण बात है क्योंकि पाश्चात्य देशों की तुलना में स्त्रियों की संख्या प्रायः अधिक होती है, बल्कि पिछले सत्तर वर्षों में स्त्रियों का अनुपात निरन्तर कम होता रहा है इसका अनुपात निम्न तालिका से लगाया जा सकता है।

लिंग अनुपात 1970-71 (स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुष)

वर्ष	स्त्रियाँ	वर्ष	पुरुष
1901	972	1951	946
1911	964	1961	941
1921	955	1971	931
1931	950	1981	885
1941	945	1991	882

India-1975 P.G.

इस कमी के लिये कोई सर्वमान्य संतोषजनक कारण तो नहीं है फिर भी दो एक बातों की ओर संकेत किया जा सकता है। एक तो भारत में प्रायः लड़कियों की देखभाल अपेक्षाकृत कम है। जिसके कारण बाल्यकाल एवं प्रसूति अवस्था में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे, छोटी उम्र में ही मातृत्व का भार सहन करने एवं परिवार नियोजन के अभाव में शीघ्र तथा बार-बार सन्तान पैदा करने के कारण काफी बड़ी संख्या में स्त्रियों की मृत्यु हुयी है। और फिर, जनगणना के समय प्रायः

स्त्रियों की गिनती भी सही ढंग से नहीं हो पाती है। इस तरह के कारणों से देश में पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या कम पायी जाती है। अब धीरे-धीरे स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण में सुधार होने लगा है, विवाह के समय औसत आयु में वृद्धि होने लगी है और प्रसूति गृह सम्बन्धी सुविधायें भी बढ़ रही है अत: अब आशा है कि देश में स्त्रियों के अनुपात में वृद्धि होगी।

भारत में स्त्री पुरुष अनुपात के सम्बन्ध में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के भिन्न-भिन्न भागों में इस अनुपात में बहुत अन्तर पाया जाता है। प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या जहाँ एक ओर केरल में 1016, उड़ीसा में 988, तमिलनाडु में 978 तथा आन्ध्र प्रदेश में 977 है, वहाँ दूसरी ओर यह संख्या पंजाब में 865, हरियाणा में 867, उत्तर प्रदेश में 879 तथा पश्चिम बंगाल में 891 है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्त्रियों की संख्या राष्ट्रीय औसत (930) के निकट है।

शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के सम्बन्ध स्त्रीपुरुष अनुपात में काफी अन्तर दिखाई पड़ता है। 1971 में शहरी क्षेत्रों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 859 थी जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह संख्या 952 थी इस अन्तर का एक बड़ा कारण यह है कि स्त्रियों को गांवों में छोड़कर पुरुष शहरों में काम करते हैं और गांवों से वह अपना सम्बन्ध बनाये रखते हैं।

जनपद जालौन की समाजार्थिक स्थिति

जनपद जालौन उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं झांसी मंडल के उत्तरी भाग में स्थित बुन्देलखण्ड नाम से भी ज्ञात अपने मण्डल के पाँच जनपदों में एक है। इसके उत्तर पूर्व में यमुना नदी इसे इटावा एवं कानपुर जनपदों से अलग करती है। पूर्व तथा दक्षिण में हमीरपुर एवं झांसी जनपद स्थित है। बेतवा नदी इनके बीच सीमा बनाती है। पहुज नदी कुछ बिंदुओं को छोड़कर पश्चिमी सीमा बनाती है और मध्यप्रदेश के जनपद भिण्ड से इस जनपद को अलग करती है। विकास खंड नदीगाँव एवं रामपुरा के कुछ क्षेत्र इस नदी के उस पार भी स्थित है। यह जनपद 26 डिग्री 27 मिनट से 25 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 78 डिग्री 56 मिनट से 79 डिग्री 56 मिनट पूर्व देशान्तर रेखाओं के मध्य फैला हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 4565वर्ग किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम इसकी लम्बाई 93 कि.मी. और उत्तर से दक्षिण इसकी चौड़ाई 68 कि.मी. है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई सबसे अधिक है। वास्तव में इसका आकार त्रिभुज की तरह है।

जनपद प्राकृतिक विषमताओं, भूमि की संरचना एवं विकास के स्तर की दृष्टि से दो उप-सम्भागों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम संभाग में कालपी एवं उरई तहसीलें आती हैं। जिनमें महेवा, कदौरा, और डकोर विकास खण्ड पड़ते हैं जिनमें शेष 6 विकास खण्ड कौंच, नदीगाँव जालौन, कुठौंद माधौगढ़ तथा रामपुरा आते हैं। यमुना पहुज तथा बेतवा नदियों ने

जनपद को तीन तरफ से घेर रखा है जिसने यहां की भौतिक स्थित को भी प्रभावित किया है।

31.12.83 की स्थिति के अनुसार जनपद की भूमिगत जल उपलब्धता 14350 लाख घनमीटर है जब कि शुद्ध ड्रापट 11.40 लाख घनमीटर है। इस प्रकार भूमिगत जल का केवल 8 प्रतिशत उपयोग होता है।

जनपद में 4 तहसीलें तथा 9 विकास खण्ड हैं कुल ग्राम 1152 हैं।

खनिज उपलब्धता की दृष्टि से यह जनपद बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां कोई भी खनिज पदार्थ उपलब्ध नहीं है। बेतवा नदी के किनारे के स्थान में मोरम की खनिज पदार्थ के रूप में उपलब्धहैं। जो परासन तथा सैदनगर से जनपद के बाहर भी अन्य जनपदों में भेजी जाती है जो कि उच्चकोटि की होती है। तथा निर्माण कार्यों में विशेष रूप से स्तेमाल की जाती है। किन्तु पहाड़गांव तथा सैदनगर में छोटी-2 पहाड़ियां हैं किंतु उनका पत्थर अच्छी कोटि का नहीं है फिर भी उसका उपयोग निर्माण कार्यों में होता है।

जनपद में वृक्षों एवं वनस्पति का अभाव रहा है। संरक्षित बागों का भी अभाव है बबूल ही एक ऐसा पौधा है जो पर्याप्त मात्रा में उगता है। जालौन तहसील के उत्तरी पट्टवा पट्टी में आम एवं महुआ के वृक्ष पाये जाते हैं। वनस्पति की दृष्टि से कालपी तहसील सबसे खराब है। बुन्देलखण्ड के अन्य जिलों की भांति नीम और महुआ के वृक्ष यत्र तत्र बिखरे मिलते हैं।जालौन तहसील में कांस प्रभाव अधिक है जो अवसर कृषि तहसील में क्षेत्र को कम करता

है। जंगल का क्षेत्रफल केवल 5.8 प्रतिशत है बबूल, खैर आदि मुख्य वृक्ष हैं जो ईंधन के काम आते हैं। इस जनपद में वनों का कोई औद्योगिक उत्पादन नहीं है। वृक्षारोपण अभियान के अन्तर्गत विगत वर्षों में कृषकों ने यूकेलिप्टस के रोपण में विशेष दिलचस्पी ली है। वर्ष 89-90 में 93.09 लाख पौधों का रोपण कराया गया। जो लक्ष्य का 101.2 प्रतिशत है। वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 308.72 लाख पौधों का रोपण कराया गया।

जनशक्ति तथा पशुधन——

वर्ष 1961 की जनगणना की तुलना में वर्ष 1971 में 22.6 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी जबकि 1981 की जनगणना में वृद्धि पद 21.2 रही है। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व 216 प्रतिवर्ग किमी० हो गया है जो प्रदेश के घनत्व377 से बहुत कम है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार 80.11 प्रतिशत व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में वास करते हैं। जबकि 1971 में यह प्रतिशत 86.25 रहा है, जहाँ तक अनुसूचित जाति का प्रश्न है जनपद की 1971 की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत प्रदेश की 21.0 प्रतिशत की अपेक्षा 27.61 था। वर्ष 1981 में घट कर 27.2 होगया।

जनगणना के अनुसार जनपद की जनसंख्या का 80.08 प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्र में शेष 19.92प्रतिशत शहरी क्षेत्र में वास करती है। जनपद की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख स्थान है। वर्ष 1981 की जनगणना के अनुसार जनपद में 164189 कृषक 56469 कृषक मजदूर, 52061 व्यक्ति पशुपालन जंगल लगाना, वृक्षारोपण एवं अन्य कार्य कर रहे हैं।

मत्स्य पालन:-
==========

मत्स्य पालन का मुख्य उद्देश्य विभागीय जलाशयों के प्रबन्ध के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों के लघु जलाशय जो कि ग्राम सभा अथवा निजी व्यक्ति के है उनको पट्टे पर आवंटित कराकर वांछित सुधारोपरान्त मत्स्य पालन कराया जा सके ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक विकास हो सके। ताकि आर्थक रूप से पिछड़े लोगों का आर्थिक विकास हो सके एवं जनसाधारण को पौष्टिक आहार प्राप्त हो सके। द्रुतगामी विकास हेतु जनपद में मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत है।

शासनादेश देश के अनुसार पत्र व्यक्तियों को ग्राम सभा के तालाबों का पट्टा दस वर्षीय अवधि के लिये राजस्व विभाग के माध्यम से आवंटित कराये जाते हैं वर्ष 89-90 में 58 तालाब 75.07 हैक्टेयर के पट्टे हु आवंटित हुये।
प्रशिक्षण:- निजी तालाब स्वामियों को दस दिवसीय मत्स्य पालन प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें मत्स्य पालन की तकनीकि जानकारी दी जाती है तथा प्रशिक्षण अवधि का प्रशिक्षणार्थियोंकको मानदेय भुगतान किया जाता है। वर्ष 89-90 में 100 व्यक्तियों के निर्धारित लक्ष्य के विपरीत 104 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया।

मत्स्य पालन स्वयं तालाबों में शिकार माही करके मछली की बिक्री करती है वर्ष 1989-90 में 9280 क्विंटल उत्पादन हुआ था। जनपद में एक मत्स्य बीज हेचरी वर्ष 1989-90 में स्थापित हुयी जो कि सम्पूर्ण झांसी मंडल को बीज आपूर्ति करेगी।

कृषि

जनपद की आर्थिक समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि कृषि जनपद के लिये न केवल वर्तमान में वरन् आने वाले वर्ष में अर्थव्यवस्था का एक ठोस आधार बना रहेगा। मण्डल के जनपदों की तुलना में भूमि समतल और उपजाऊ है। कृषि जोतें बड़ी है किन्तु सिंचाई की सुविधा अपर्याप्त है अभी जनपद की एक मात्र रबी की फसल ही है।

वर्ष 1981 की पशु गणना के आधार पर जनपद में औसत कृषि जोत 2.03 हैक्टअर है जनपद की कुल 179749 जोतों में से 82380 जोते 1.0 है0 से कम तथा 39712 जोतें 1.0 से 2.0 हैक्टेअर के मध्य है। स्पष्ट है कि जनपद में 45.8 प्रतिशत सीमांत कृषक तथा 22.1 प्रतिशत लघु कृषक है। परिणामत: बड़ी जोतों की संख्या अधिक है।

जनपद का भौगोलिक क्षेत्रफल 4565 वर्ग कि.मी. है जिसके 77% क्षेत्र में कृषि की जाती है। वनों का क्षेत्रफल 5.8% है अभी भी जनपद में सिंचाई के साधनों का अत्यधिक अभाव है जिससे कृषि की सघनता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है वर्तमान में जनपद की फसल गहनता 105.8 प्रतिशत प्रदेश की फसल सघनता 145 प्रतिशत की तुलना में कम है।

(सारिणी क्रमश: अगले पृष्ठ पर)

भूमि उपयोग के अनुसार तहसीवार ग्रामों का विवरण

तहसील का नाम	आबाद ग्रामों की संख्या	कुल क्षेत्रफल हैक्टेयर	कुल क्षेत्रफलकेबोये गये की तुलनामें क्षे0का प्र0 %	सापेक्ष कृषि सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत
जालौन	374	132,968.08	87.52	34.58
कौंच	246	104,198.82	90.12	33.31
कालपी	195	123,592.81	84.40	20.06
उरई	124	92,799.34	82.70	17.74
योग	999	453,059.05	86.30	27.10

स्रोत: सामाजिर्धिक समीक्षा जनपद जालौन 1989-90

सिंचाई साधनों की अपर्याप्तता के कारण प्रति है0 उर्वरक का प्रयोग 31.15 किग्रा. है। जनपद के कुल बोये गये क्षेत्रफल में 21.5% खरीफ एवम् 74.4% रबी है जायद फसलों का क्षेत्र नगण्य है। बोये गये क्षेत्र में 94.66% धान्य फसलें एवं 5.84 प्रतिशत क्षेत्र में तिलहनी फसलें बोई जाती है इससे स्पष्ट है कि जनपद का एक कृषक वर्ग तिलहनी फसलों की बुआई में अधिकरूचि ले रहा है। जनपद की मुख्य खरीफ फसलों में खरीफ के अन्तर्गत धान ज्वार, बाजरा, अरहर व उर्द व रबी की फसलों में चना एवं मसूर है। अधिक उपज देने वाली फसलों के अन्तर्गत धान एवं गेंहूं की फसलें मुख्य हैं।

खाद्यान्न उत्पादन:-

वर्ष 87-88 में सूखा के कारण 394 हजार मै0 टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ जबकि वर्ष 86-87 में यह 475 हजार मै0 टन था। वर्ष 87-88 की प्रमुख फसलों के क्षेत्र एंव उत्पादन की स्थिति निम्न लिखित रही है:-

क्र0सं0	मद	कुलक्षेत्रफल है0 में	सिंचित क्षेत्रफल है0 में	कुल उत्पादन मी0 ट्न000
1.	खाद्यफसलें	140607	76102	215
	1-धान्य			
	2-दालें	207151	9354	179
2.	वाणिज्यिक फसलें			
	1-कुल तिलहन	14533	1058	6.97
	2-गन्ना	1906	1875	71.85
	3-आलू	406	406	7.86

उत्पादकता—

कृषि उत्पादकता का गत वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्नतालिका द्वारा स्पष्ट है।

(तालिका आगे अंकित है)

उत्पादन प्रति० कु० प्रति है०

क्रमसं०	फसलकानाम	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1	2	3	4	5	6
(1)	चावल	5.29	9.86	9.11	7.94
(2)	मक्का	10.08	14.44	11.89	8.76
(3)	ज्वार	7.53	5.60	6.09	4.56
(4)	बाजरा	6.02	4.42	5.96	5.95
(5)	गेँहू	15.76	16.96	19.46	19.73
(6)	जौ	15.03	11.08	12.90	13.96
(7)	मूंग एवं उर्द	4.20	3.24	1.63	2.91
(8)	मूँग	2.30	3.28	-	2.69
(9)	मसूर	6.54	10.29	9.39	10.03
(10)	चना	7.94	8.57	8.34	7.24
(11)	मटर	10.83	14.03	13.62	12.57
(12)	अरहर	10.50	16.97	21.81	10.81
(13)	लाही, सरसों	4.53	3.88	3.95	4.69
(14)	अलसी	3.95	4.47	4.37	4.92
(15)	तिल	0.70	1.69	0.54	0.86
(16)	गन्ना	409.08	479.62	431.02	376.99
(17)	आलू	160.92	128.03	198.81	193.73
(18)	जूट	19.78	-	-	-

उर्वरक वितरण :-

उत्पादन उर्वरक की उपलब्धता एवं समय के प्रयोग अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निरन्तर प्रगति हो रही है। गत् वर्षों में उर्वरक की उपलब्धता इस बात की ओर संकेत करता है कि कृषक उत्पादन बढ़ाने की लिये जागरूक है।

विगत वर्षों में उर्वरक वितरण का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार रहा-

क्रम सं0	वर्ष	नाइट्रोजन मी0 टन	फोसफोरस मी0 टन	पोषस मी0टन	योग—प्रति है0 मी. टन	मी. टन.	उर्वरक क्रिया.
1	1984-85	7409	3820	453	11682		31.50
2	1985-86	7114	3903	510	11257		31.00
3	1986-87	6520	3900	356	10776		31.15
4	1987-88	3449	2731	138	6418		17.3
5	1989-90	8303	5541	242	14086		-

उपरोक्त तालिका इस बात की सूचक है कि नाइट्रोजन एवं फासफोरस के प्रयोग में जहां कृषक विशेष रूचि ले रहे हैं वही पोटास के उपभोग में अधिक रूचि नहीं दिखाई देती।

सिंचित क्षमता :-

कृषि विकास एवं अधिक उपज प्राप्त करने के लिये एक मूलभूत आवश्यकता सिंचाई है। यद्यपि जनपद में कृषि जोतों का आकार प्रदेश के अन्य जनपदों की तुलना में बड़ा है किन्तु जहाँ कि कृषि मुख्यतः वर्षा पर ही आधारित है सिंचाई के पर्याप्त एवं सुनिश्चित साधन न होने के कारण कृषक वर्ग सघन एवं नवीनतम कृषि विधियों को नहीं अपनाता है अतः आवश्यकता इस बात की है कि सिंचाई के साधन में बढोत्तरी हो। अब तक यहाँ 426 राजकीय नलकूप है। 1916 कि0मी0 नहर, 9814 निजी नलकूप 345, राहत, 2262 पम्पसेट 3116 बोरिंग पर पम्पसेट सिंचाई का कार्य कर रहे है। 1310 निजी नलकूप भी कार्यरत है।

इस जनपद में विभिन्न साधनों द्वारा निम्नलिखित सिंचित क्षेत्रफल एवं सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत निम्नवत है।

क्रमांक	वर्ष	नहर	नलकूप	कुयें	तालाब झील तथा पोखर	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1984-85	72135	8236	1874	58	336	82624
2.		(87.33)	(9.96)	(2.25)	(0.07)	(20.46)	(00.00)
2.	1985-86	71428	7748	2031	31	462	82700
		(87-58)	(9.37)	(2.46)	(0.04)	(0.50)	(100.0)
2.	1986-87	69294	8480	2085	29	363	8025
		(86.35)	(10.57)	(2.60)	(0.04)	(0.45)	(100.0)

उपर्युक्त विवरण के आधार पर वर्ष 86-87 में 86.35% नहरों से 10.57% नलकूपों से 2.60% कुओं से 0.04% तालाब झील पोखरों से एवं 0.04% अन्य साधनों द्वारा सिंचाई की गयी। इस प्रकार जनपद में सिंचाई का प्रमुख साधन राजकीय नहरें है। प्राथमिकता में राजकीय नलकूप एवं लघु सिंचाई साधनों का दूसरा स्थान है।

उद्योग एवं व्यवसाय

प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु समय समय पर व प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनायें लागू की गयी तथा प्रदेश में औद्योगिक कान्ति का सृजन करने के लिये उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें एवं प्रोत्साहन प्रदान किये गये साथ ही क्षेत्रीय असन्तुलन व आर्थिक पिछडेपन को दूर करने के लिए जालौन जैसे पिछडे हुये जनपदों उद्योगों की स्थापनार्थ कुछ विशिष्ट सुविधायें भी प्रदान की गयी। जनपद में उद्यमियों को सस्ते दर पर भूमि उपलब्ध कराने हेतु उरई कालपी मार्ग पर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया जो विजली पानी तथा सडक की सुविधाओं से सम्पन्न है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। जनपद का मुख्यालय उरई नगर कानपुर, झाँसी, ग्वालियर तथा बम्बई आदि की भौगोलिक स्थिति तथा जनपद में प्राप्त विशिष्ट सुविधाओं से आकर्षित होकर सातवी पंचवर्षीय योजना में उक्त औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगपतियों एवं राष्ट्रीय स्तर की कम्पनियों ने जनपद में अपने माध्यम वृहत्त उद्योग स्थापित किये है जो निम्न प्रकार है —

§1§ मेसर्स उवशी सिन्थेटिक प्रोसर्स प्रा0लि0,- सिन्थेटिक कपडों की प्रोसेसिंग एवं ड्राइंग

§2§ मैसर्स उरई आयल कैम0प्रा0लि0 – डिडाइजिनेटिक §हार्ड/आयल§

§3§ मैसर्स विक्रान्त गैसेस पा0लि0 – एसिटिलीन गैस

§4§ मैसर्स प्रगति स्टील प्लाट – इन्गट्स

§5§ मैसर्स बेजीप्रो फूड्स एण्ड फीड्स – सोयाबीन उत्पादन

§6§ मैसर्स बलवीर स्टील्स प्रा0लि0 – स्टील कास्टिंग

§7§ मैसर्स हिंदुस्तान लीवर लि0 – टायलट सोप ग्लिसरीन

§8§ मैसर्स उरई फ्लोर मिल – फ्लोर मिल

§9§ मैसर्स अल्फा कास्टिंग पा0लि0 – स्टील कास्टिंग

उपरोक्त के अतिरिक्त कई अन्य उद्योगपतियों/कम्पनियों ने भी इस जनपद में अपने उद्योग स्थापनार्थ लाइसेंस प्राप्त किये हैं। इसके साथ ही सब सुविधाओं के फलस्वरूप जनपद में अनेक लघु उद्योग की स्थापना हुयी है अधिकांश कृषि आधारित उद्योग है।

जनपद में ग्रामीण एवं लघु उद्योग विभिन्न प्रकार की संस्थाओं के अधीन कार्यशील औद्योगिक इकाइयों की संख्या ।

1988-89

§तालिका आगे अंकित है§

संस्था का नाम उद्योगों का प्रकार	औद्योगिक सहकारी इकाइयों द्वारा चालित	सहकारी पूंजीकृत संस्थाओं द्वारा चालित	व्यक्तिगत उद्योग-पतियों द्वारा	कुल
खादी उद्योग	22	24	-	45
खादी उद्योग द्वारा प्रवर्तित लघु इकाइयाँ	-	-	-	-
इंजीनियरिंग	7	-	21	28
रसायनिक	5	-	12	17
विधायन इकाइयाँ	13	-	-	13
हथकरघों की इकाइयाँ	38	-	105	143
रेशम इकाइयाँ	-	-	-	-
नारियल की जटा की इकाइयाँ	-	-	-	-
हस्तलिपिइकाइयाँ	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-
कुलयोग	85	23	138	248
सामान में कार्यरत श्रमिक	222	114	810	1246

स्रोत :- सांख्यिकीय पत्रिका जिला जालौन वर्ष 1989।

जनपद में 31.3.90 तक 3413.95 लाख रूपये के पूँजी विनियोजन से 2056 लघु एवं लघुत्तर इकाइयाँ स्थापित हो चुकी है। जिनमें 9878 व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये है। बेरोजगार

रोजगार के अवसर प्राप्त हुये है। बेरोजगार की समस्या को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रदेश सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है जिसमें लघु/लघुत्तर एवं कुटीर उद्योगों को बढावा देने हेतु विशेष प्रोत्साहनों एवं सुविधाओं की घोषणा भी है।

सरकार द्वारा अनेक प्रकार के व्यवसायिक बैंकों की स्थापना हुयी है। जिन्होनें बेरोजगारी को राहत दिलाई और लघु उद्योगों को बढावा मिला।

जनपद में व्यावसायिक बैंकों में जमा धनराशि एवं ऋण वितरण

(हजार रूपये में)

	1986	1987	1988
कुल जमा धनराशि	544242	673218	962842
कुल ऋण वितरण	332056	272471	537933
लघु उद्योग	18636	24598	32041
प्रतिव्यक्ति जमा धनराशि	552	682	976
प्रतिव्यक्ति ऋण वितरण रू0	337	276	545
कृषि तथा कृषि सेवा से सम्बन्धित कार्य	123055	252836	201105

स्रोत :- सांख्यिकीय पत्रिका जिला जालौन 1989

राज्य पूँजी उत्पादन एवं विक्री कर इत्यादि में सरकार द्वारा छूट प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त जनपद जालौन में ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक आस्थानों तथा मिनी औद्योगिक आस्थानों में जिनको राज्य, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये भूमि के मूल्य हेतु भी उद्यमियों को अनुदान उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी। है तथा साथ ही बुन्देलखण्ड में नये उद्योगों को उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्ष तक के लिए विद्युत बिल में पचास प्रतिशत की विकास छूट भी देने की घोषणा की गयी है व सभी औद्योगिक आस्थानों को विद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है। लघुत्तर दस्तकारी एवं कुटीर उद्योगों को एक ही स्थान पर स्थापित करने एवं सभी सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक मिनी औद्योगिक आस्थान की भी स्थापना की जा सकी है।

जनपद में औद्योगिक आस्थान 1988-89

	1986-87	1987-88	1988-89
आस्थान की संख्या	3	3	3
शेडों की संख्या	12	12	12
कार्यरत	9	7	7
प्लाटों की संख्या आवंटित	73	71	72
कार्यरत	7	10	11
रोजगार से व्यक्तियों की सं0औसत	63	60	66
उत्पाद[000रू0]	615	1387	1398

स्रोत :- सांख्यिकी पत्रिका जिला जालौन 1988-89

विद्युत

विद्युत आधुनिक युग में मानव कल्याण एवं उसके आर्थिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 1988-89 तक कुल 939 आबाद ग्रामों से 589 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके है। 10नगर भी विद्युतीकृत थे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार कुल विद्युतीकृत आबाद ग्रामों का प्रतिशत 63.6 रहा। विद्युत लाइनों की ल0 11 के0बी0, 1163 [illegible] कि0मी0, 33के0बी0 और 300कि0मी0 रही है। वर्ष 88-89 तक 482 हरिजन बस्तियों को भी विद्युत उपलब्ध करायी जा चुकी है।

वर्ष 1988-89 में विभिन्न स्रोतों द्वारा 55759 किलोवाट घंटा विद्युत का उपभोग किया गया। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग 56.4 किलोवाट घंटा रहा। वर्ष 89-90 तक 1240 पम्पसेटों का उर्जन किया गया। जबकि वर्ष 89-90 में मात्र 59 निजी नलकूप उर्जीकृत किये गये।

भारत के विभिन्न राज्यों में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग 1986-87

राज्य	अधिष्ठापित क्षमता कि0वाट	उत्पादित लाख कि0वाट घंटा	उपभोग (लाख कि वाट घंटा)
तमिलनाडु	27,94,830	9,44,97	12,07,10
त्रिपुरा	32,150	7,52	6,91
उत्तर प्रदेश	45,65,570	14,74,00	13,47,22
पं0बंगाल	26,19,380	8,73,78	7,66,18

नोट :- उत्पादन एवं उपभोग केवल प्रयुक्त शक्ति के लिये है। (अनन्तिम)
स्रोत - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

परिवहन एवं संचार

जनपदवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सड़क परिवहन एवं संचार जैसे महत्वपूर्ण आवश्यक अवस्थाओं का विशेष महत्व है। सड़क एवं परिवहन आवागमन के सुगम साधन जनपद में कृषि एवं औद्योगिक विकास के माध्यम से विभिन्न जीवनउपयोगी वस्तुयें एवं सेवायें उचित मात्रा में उपलब्ध कराने में सहायक होगें। इसके साथ ही रोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करने में अपनी भूमिका निभाते है।

सड़क :- जनपद के आर्थिक विकास के लिए सड़कों का विशेष स्थान है। यह कृषि और औद्योगिक विकास में विशेषरूप से सहायक होती है जनपद ने इस दिशा में प्रगति की है और फिर भी इसके विकास की अभी और आवश्यकता है। जनपद में सड़कों में जो प्रगति हुयी है उसका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है।

वर्ष	सड़क की ल0 लम्बाई कि0मी0	वर्ग कि0मी0 की लम्बाई	जनसंख्या पर
1984-85	890	195	90
1985-86	918	195	90
1986-87	940	206	95.3
1987-88	952	208	96.3

तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष87-88 में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लम्बाई का औसत 86.4 रहा जो वर्ष 86-87 की तुलना

में कोई अधिक नहीं है वर्ष 87-88 में जनपद में ला0वि0नि0 एवं स्थानीय निकायों द्वारा संरक्षित पक्की सड़कों की लम्बाई निम्न प्रकार है-

लोकनिर्माण के अन्तर्गत	कि0मी0 दूरी
(1) राष्ट्रीय राजमार्ग	74
(2) प्रादेशिक राजमार्ग	83
(3) मुख्य जिला सड़कें एवं ग्रामीण सड़कें	625
	योग-852

स्थानीय निकायों के अन्तर्गत	
(1) जिला परिषद	24
(2) महापालिका/नगरपालिका	49
(3) अन्य	98
समस्त योग-	950

कुटीर उद्योग एवं ग्रामीण महिलायें

"भारत का मोक्ष उसके लघु एवं कुटीर उद्देयोगों में निहित है।" — महात्मा गांधी का यह कथन भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों की महत्ता प्रतिपादित करता है। भारत प्राचीन काल से ही लघु एवं ग्रह उद्योगों द्वारा तैयार किये माल के लिए विश्वविख्यात रहा है। भारतीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लघु एवं कुटीर उद्योगों का देश में जाल बिछना निहायत अनिवार्य है।

"लघु या छोटे उद्योग" "कुटीर या ग्रह उद्योग" दस्तकारी और ग्रामीण उद्योग" आदि शब्द बहुत झिलमिल ढंग से प्रयोग किये जाते है। अनेक विशेषज्ञों ने इस शब्द के अर्थ को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किया है लेकिन निश्चित रूप से अभी इसका अर्थ स्थिर नहीं हो सका है। मोटे तौर से इन उद्योगों को मिल अथवा बड़े उद्योगों के विपरीत अर्थ में प्रयोग किया जाता है।

भारत में कुटीर उद्योगों में लगभग 20लाख लोग हुये है इसमें उन बहुसंख्यक लोगों की संख्या सम्मिलित नहीं है जो कृषि के साथ-साथ दूसरे कार्यों में लगे रहते है इसमें उन कारीगरों की संख्या शामिल नहीं है जो किसानों को कृषि कार्य के अवकाश के समय सहायता देते है। कुटीर

उद्योगों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है।

विस्तार, पुंजी, स्रोत और श्रम शक्ति अनुसार ही लघु उद्योग, वृहद उद्योग और के बीच भेद स्पष्ट किया जा सकता है। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग मे अन्तर इस प्रकार बतलाया जा सकता है कि लघु उद्योग प्रधानता शहरों में स्वतन्त्र रूप से स्थापित किये जा सकते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग कृषि के साथ साथ पूरक पेशों के रूप में रहते है। लघु उद्योगों में मशीनों की सहायता से वस्तुओं का उत्पादन होता है और इसमें श्रमिक को लाभ मिलता है, लेकिन कुटीर उद्योगों में हाथों की सहायता से ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है इसमें प्रायः परिवार के सदस्य ही कार्य करते है। कुटीर उद्योगों मे सभी ग्रामीण कला विद्या रहते है। यह घरों में ही चलाये जाते हैं। जिसमें परिवार के सदस्य ही मुख्य या सहायक पेशे के रूप में कार्य करते है।

ने यह बतलाते हुये कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को भौतिक कल्याण के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते है। ग्रामीण जनता को रोजगार प्रदान करने के सबसे सुलभ और सबसे उपयुक्त साधनों में से एक साधन कुटीर उद्योग है। इसी प्रकार उ0प्र0 की "उद्योग उप समिति" ने सन् 1974 में बतलाया कि बेकारी को दूर करने का एकमात्र साधन कुटीर और लघु उद्योगों को विकसित करना है। जर्मनी तथा अन्य देशों

में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों द्वारा बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है।

कुछ लोगों का विश्वास है कि लघु उद्योगों की अपेक्षा बड़े उद्योगों के द्वारा देश में रोजगार की अवस्थायें बढायीं जा सकती है पर भारत जैसे देश में ऐसा संभव नहीं है। वृहद उद्योगों के प्रसार से भारत में बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ऐसा होने से उद्योगपतियों को ही लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन इससे किसानों व भूमिहीनों को लाभ होने की सम्भावना नहीं है।

भारत में वर्तमान परिस्थिति को देखते हुये कुटीर उद्योग बड़े उद्योगों से अधिक महत्वपूर्ण है। डा० वी०के० आर०पी० राव ने बड़े उद्योगों मे लगे लोगों को कुटीर उद्योगों में लगे हुये लोगों की संख्या का 1/4 बतलाया है। देश में जितने वस्त्र की खपत होती है। उसके 25% से 30% भाग को हाथकर्घा उद्योग उत्पन्न करता है और यह उद्योग मिलों में लगे हुये मजदूरों के 85% मजदूरों को रोजगार देता है। बड़े-2 कारखानों में 70% से 75% तक वस्त्र का उत्पादन होता है, लेकिन उनमें केवल 15% लोगों को ही उससे रोजगार मिलता है।

ग्रामीण महिलायें आर्थिक गतिविधियाँ

हमारे देश में महिलाओं को सदा ही सम्मानीय स्थान प्रदान किया गया है। भारतीय परम्पराओं के अनुरूप हमारे संविधान में भी

महिलाओं को हर प्रकार से पुरूषों के समान अधिकार दिये गये है और उनके साथ किसी पकार का भेदभाव नहीं बरता गया हैं। भारतीय महिलाओं का जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। भारतीय महिलाओं का जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर महिलाओं का पादार्पण नहीं हो रहा हैं। अपनी योग्यता कार्यक्षमता द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि वे उक्त धरेलू काम-काज करने वाली ही नहीं है बाहरी सभी काय भली भाँति कर सकती है।

विशेष रूप से एक ग्रामीण महिला भोर होने से लेकर रात्रि तक विभिन्न प्रकार से आर्थिक बोझ को कम कर विभिन्न कार्यों में सहयोग देती है परन्तु उसके कार्यों को नगण्य समझा जाता है। एक महिला पुरूष के बराबर प्रत्येक कृषि या इससे सम्बन्धित कार्यों में सहयोग करती है।

यह विज्ञान की चरम उन्नति के युग में भी भारत सर्वप्रथम एक कृषि प्रधान देश है। अतः कामकाजी महिलाओं की सर्वाधिक संख्या हमें आज भी कृषि जगत में व उससे सम्बन्धित कार्मों में ही मिलेगी। 80 प्रतिशत महिला श्रमिक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से सम्बद्ध है। इस क्षेत्र में किसी विशेष कुशलता की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है अतः कामकाजी श्रमिक महिलाओं में अधिकांश भाग ऐसी महिलाओं का है। कृषक परिवारों में महिलायें पुरूषों का हर कार्य में हाथ बंटाती है। इनमें से अधिकांशतः खेतिहर मजदूर वर्ग की महिलायें है। घोर परिश्रम के पश्चात् भी उन्हें पुरूष मजदूरों से कम मजदूरी दी जाती है। धरेलू काम

काज में दिन के 18 घण्टे बैल की भाँति जुटी महिला की ओर तो किसी की दृष्टि ही नहीं जाती है। घर भर की सेवा करना, बच्चों को पालना इत्यादि इस सबके बावजूद ऐसी नारियों का समाज में कोई स्थान नहीं है।

हमारे देश में कुशल श्रमिक महिलाओं का प्रतिशत अति अल्प कृषि के अतिरिक्त जिन क्षेत्रों में महिलाओं को काम मिलता है वे हैं बीड़ी बनाना, कढ़ाई करना, बुनाई, सिलाई, इत्यादि करना। कुछ राज्यों में महिलायें चाय की पत्तियां चुनने का कार्य काजू इलायची साफ करने का कार्य भी करती है। अकुशल एवं कुशल दोनों ही करती है। अकुशल एवं कुशल दोनों ही प्रकार की महिला मजदूरों का प्रतिशत सर्वाधिक आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र तथा हिमांचल प्रदेश में है। उत्तरी भारत में महिला मजदूरों का प्रतिशत सबसे कम है। ये महिलायें कुशल कारीगर होते हुये भी संगठन के अभाव में पूरी तरह शोषण का शिकार है। महिलाओं के विकास के लिये देश-विदेश में तरह-2 के आयोजन होते रहते हैं। यह अकाट्य सत्य है कि महिलाओं के उत्थान के बिना कोई राष्ट्र उन्नति पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता है।

———————o———————

एक महिला खेतों में बुआई से लेकर कटाई तक में बराबर का सहयोग कराती है जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। धान की बुआई के विशेष रूप से स्त्रियों द्वारा ही की जाती है। एक मजदूर महिला ईंटों और गारे का ढोती है परन्तु उसे पुरुष के बराबर मजदूरी नहीं दी जाती है। बागवानी के क्षेत्र में महिलाओं का विशेष योगदान है सब्जी बोना निराई करना कटाई करना और विपणन करना। इन सभी कार्यों में स्त्रियों का विशेष योगदान रहता है ये सभी कार्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बनाते हैं।

फिर हमारी सरकार का यह प्रयत्न रहा है कि महिलाओं को उनकी शिक्षा व योग्यतानुसार काम मिले, काम की उचित दशायें मिले और उनका किसी प्रकार शोषण न हो।

<u>कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता एवं राज्य कार्यक्रम :-</u>

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभार्थियों की संख्या व उत्पादन क्षमता बढ़ाई गयी। छठीं योजना के मध्य इस कार्यक्रम को देश के सभी 5092 विकास खण्डों में लागू किया गया था। सातवीं योजना में लगभग 2करोड़ लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित किया इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन परिवारों को प्राथमिकता दी गयी जिसकी मुखिया महिलायें थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार

कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना के अधीन महिलाओं को समुचित रोजगार देने पर बल दिया गया।

ट्राईसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विकासखण्ड के 40युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की सुविधा प्रदान की जाती है। इनमें भी एक तिहाई महिलाओं को यह सुविधा प्रदान करने का प्रयत्न किया जायेगा ताकि वे अपना निजी काम धन्धा शुरू कर सकें। महिलाओं के विकास कार्यक्रमों को लागू कर रही राज्य स्तरीय ऐजेन्सियों के सहयोग से सरकारी क्षेत्र में उपक्रमों को ऐसे उद्योग प्रायोजित करने को कहा गया, ताकि महिलाओं को उनके आसपास रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। सातवीं योजना के दौरान नये शिल्प विज्ञानों का सूत्रपात किया गया और महिला उद्यमियों के लिए तैयार किये गये विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया।

इस समय महिला उद्यमियों को शैड जैसी बुनियादी सुविधायें प्रदान की जा रही है। श्रम और उद्यम प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत महिला लाभ भोगियों को महत्व दिया जायेगा। नारियल जटा, रेशम उद्योग, कुछ ऐसे क्षेत्रों में महिलाओं का रोजगार अधिक मिलेगा।

सातवीं योजना में रोजगार पाने वालों की संख्या 58.6 लाख तक बढी। इसके अतिरिक्त रोजगार का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं

को गया। और योजनाकाल में महिलाओं की संख्या इसमें 46.1से बढ़कर 48% तक हो गयी।

पंचवर्षीय योजनायें और महिला विकास

पहली पंचवर्षीय योजना 1951-56 ने स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, आवास और पुनर्वास जैसी सामाजिक सेवाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया गया। योजना में शिशु मातृ की ऊंची दर को ध्यान में रखते हुये स्कूली योजना मातृ सेवा केन्द्रों और बाल स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास का काम शुरू किया गया। महिला मंडलों का बडे पैमाने पर विस्तार इस अवधि की उल्लेखनीय बात है।

दूसरी योजना 1956-61 में स्त्रियों के कल्याण का दृष्टिकोण जारी रहा। इस योजना ने कामगार के रूप में स्त्रियों के संगठन की आवश्यकता को मान्यता दी और माना स्त्रियों को हानिकर काम से सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें मातृकालीन काम मिलने चाहिए और काम के स्थानों में उनके बच्चों के लिए शिशु सदन खोले जाने चाहिए। इस योजना में समान काम और समान वेतन के सिद्धान्त के लिए कहा गया और बडी नौकरियों में बैठने योग्य बनने के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था पर तेजी से अमल करने की सिफारिश की गयी।

इस योजना के अन्त 1961 में यह पता चला कि कल्याण कार्यक्रम की व्यवस्था करने की आवश्यकता के कारण संगठित क्षेत्र के अनेक मालिक स्त्रियों को नौकरी देने के अनिच्छुक थे जिससे पुरूषों की तुलना

में स्त्रियों की काम करने की संख्या कम हुयी। नौकरी में महिला कर्मचारियों की दर 27.96% थी जबकि पुरुषों के मामले में यह दर 57.12% थी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में कुछ प्रगति हुयी। स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत बढ़कर 12.95 % लेकिन पुरुषो की तुलना में, जो 34.44 प्रतिशत था अब भी कम था। 1961 में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 941 थी। शिक्षा के लिये लड़कियों के दाखिले में भी तेजी आयी। स्कूलों में प्रति 100 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 42 थी जो बढ़कर 55 हो गयी। तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भी इस संख्या में वृद्धि हुई।

तीसरी योजना में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार पर स्त्रियों के विकास की नीति के रूप में ध्यान दिया गया। चौथी योजना के परिवार नियोजन के लिए अधिक राशि निर्धारित की गयी इसी दौरान 1971 की जनगणना के अनुसार स्त्रियों की साक्षरता 12.95 से बढ़कर 18.68% हो गयी जबकि पुरुषों की साक्षरता की बढ़कर 39.56% हो गयी।

पांचवी योजना (1974-79) का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाना और आत्म निर्भरता प्राप्त करना था। आपातकाल की घोषणा और फिर केन्द्र सरकार के परिवर्तन से योजना कार्यक्रम की गड़बड़ी हुयी और यह योजना वार्षिक योजना के रूप में संचालित हुयी। जनता सरकार ने कुछ प्राथमिकताओं में संशोधन किये। इसमें ग्रहणी के कामकाज का प्रशिक्षण देने के काम चलाऊ साक्षरता कार्यक्रमों पर जोर

दिया गया। महिला विकास के उपाय शुरू करने के लिए 1976 में समाज कल्याण मंत्रालय के अधीन और महिला कल्याण मंत्रालय के अधीन, महिला कल्याण विकास बोर्ड के अधीन, महिला कल्याण विकास बोर्ड की स्थापना की गयी। कल्याण की अपेक्षा विकास पर अधिक जोर दिया गया।

छठीं योजनावधि (1980-85) में स्त्रियों के काम की शर्तों को सुधारने और उनका आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊपर उठाने के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्त्रियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये। महिला प्रधान परिवारों को प्राथमिकता दी गयी xxx, बुनाई मछली बेचने रस्सी बनाने ईंट बनाने, मोमबत्ती बनाने जैसे चुने हुये आर्थिक क्रिया कलापों में प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी की गयी। समाज कल्याण मंत्रालय में वालिग स्त्रियों के लिए कामचलाऊ शिक्षा कार्यक्रम लागू किया गया। स्त्रियों के लिये विज्ञान और टेक्नोलोजी योजना के अन्तर्गत धुआँ रहित चुल्हें और कुकर, बायोगैस संयंत्र, जल शुद्ध करने की प्रणाली आदि कार्यकलाप शुरू किये गये। दिन प्रतिदिन के काम काज में स्त्रियों की कडी मेहनत कम करने के लिए खेती के बेहतर औजार, भेड पालने, ऊन काटने, फसल की कटाई के बाद के कामकाज के लिये बेहतर तरीके अपनाये गये।

सातवीं योजना (1985-90) का कूल उद्देश्य स्त्रियों में विकास के लिये अपनी क्षमता, अधिकारों और सुविधाओं के प्रति

जागरूकता लाने के लिए विश्वास जगाना था। योजना में स्त्रियों के काम के लिये नये अवसर पैदा करने और उन्हें देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण संसाधन की मान्यता देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। योजना मे इस पर भी गौर किया गया था कि स्त्रियाँ घरों खेत खलिहानों व पारिवारिक कार्यों में लम्बे समय तक कार्य करती है।

महिला और बाल विकास विभाग ने भारतीय स्त्रियों पर विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के परिप्रेक्ष्य में एक समिति का गठन किया। यह दस्तावेज अक्टूबर 1, 1980 में जारी किया गया। योजना में ग्रामीण विकास, रोजगार सहायता सेवायें शिक्षा स्वास्थ्य कानून राजनीतिक भागीदारी और संचार तथा प्रचार माध्यम जैसी विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की स्थिति की समीक्षा की गयी। इस योजना की खास सिफारिश यह थी कि विकास योजनाओं में स्त्रियों की भागीदारी बढाने के लिए खास उद्देश्यों को लेकर राष्ट्रीय नीतियाँ तैयार की जानी चाहिए। इन नीतियों का उद्देश्य स्त्रियों के लिए उत्पादक रोजगार का सृजन और सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वे आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में पूरी तरह शरीर होने के योग्य बन सके।

महिला विकास कार्यक्रम के तहत उपलब्धियाँ इस प्रकार है-औसत आयु 1971 के 17.2 वर्ष से बढकर 18.3 वर्ष हो। लैंगिक

अनुपात प्रति हजार 980 से बढ़कर 1981 में 966 हो गया। विवाह के समय लड़कियों की औसत आयु 17वर्ष से बढ़ाकर 18वर्ष कर दी गई। महिलाओं के कार्यक्रम में कल्याण से हटकर विकास पर ध्यान दिया गया। सभी स्तरों पर आयोजन और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में महिलाओं का योगदान बढ़ा। लैंगिक आधार पर भेदभाव हटाने तथा स्कूली पाठ्य चर्या के जरिये समानता के महत्व को प्रोत्साहन देने, खास कर महिलाओं के लिये कानून बनाने और संशोधन करने के प्रयास हुये।

पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी

लोकतन्त्र के निचले स्तर पर महिलाओं की भागीदारी अत्यन्त आवश्यक है ऐसा इसलिये महत्वपूर्ण है कि समस्याओं के बारे में महिलाओं का अपना दृष्टिकोण होता है। यदि उन्हें अवसर प्रदान किये जाये तो समस्याओं के समाधान में काफी सहायता मिलेगी पंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाओं की उपस्थिति से न केवल पंचायतों का स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधि कारी होगा बल्कि इससे वे अधिक निपुण ईमानदार और जिम्मेदार बनेगी।

महिलाओं की भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि उनमें एक ऐसा नेतृत्व तैयार होगा जो विधान सभाओं और संसद जनता का प्रतिनिधित्व कर सकेगा। अब तक तो स्थिति यह है कि राज्य विधान मण्डलों और संसद में उनका प्रतिशत बहुत ही कम

रहा है। यद्यपि महिला सांसदों ने संसद में हमेशा सक्रिय और सार्थक भूमिका निभाई है किन्तु उसकी सार्थकता उसके अनुपात से कम होने के कारण अधिक प्रकाश में नही आयी है।

वर्तमान प्रावधान में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी से उनके कार्यान्वयन में उनका भी बराबर का योगदान होगा। जहाँ तक साक्षरता के अभाव का सम्बद्ध यह बात ग्रामीण क्षेत्र के पुरुष व महिला, दोनों पर न्यूनाधिक रूप में लागू होती है। महिलाओं के सम्बद्ध में अनेक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी, उनके लिये कार्यक्रम उनकी जरूरतों के अनुसार बनाये जाये, पंचायती व्यवस्था में उनकी अधिक से अधिक सार्थक भागीदारी के लिए उन्हें सहायक सेवायें भी उपलब्ध करायी जाये।

पंचायती राज में आमतौर पर, ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी की बात भी की जा रही है अतः इससे निश्चित ही उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जायेगी, किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नही है कि शहरी महिलाओं की इस क्षेत्र में कोई जिम्मेदारी नहीं है पंचायती राज के सन्दर्भ में उनके कंधों पर भी गम्भीर जिम्मेदारी आ गयी है। वह ग्रामीण महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में रचनात्मक भाग लेने के योग्य बनाने की।

जनपद जालौन में कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका

जनपद जालौन बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार एवं झाँसी का उत्तरी भाग है। इस जनपद का कुल क्षेत्रफल 1981 के आधार 4565 वर्ग

कि0मी0 है। 1991 की जनगणना के अनुसार जनपद जालौन की कुल जनसंख्या 1,217,021 है जिसमें पुरूष 664, 739 तथा महिलायें 552, 282 है।

केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकार ने कुटीर उद्योगों द्वारा क्षेत्रीय असन्तुलन व आर्थिक पिछडे पन को दूर करने के लिए ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित कर पिछडे हुये जनपदों को कुछ सुविधायें प्रदान की है। जैसे केन्द्रीय पूँजी उत्पादन तथा बिक्री कर इत्यादि की सुविधा प्रदान की हैं। जनपद में संचालित उद्योग बांस बेत, लौह कुला पापड, मसाला, कुम्हारी, चूना, हाथ, कागज अनाज दाल प्रशोधन आदि है।

वर्ष 1991-92 में बोर्ड की नीतियों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना की वरीयता की गयी। इसके लिये जनपद के समस्त विकास खण्ड अधिकारियों से सम्पर्क कर आइ.0आर0डी0 लाभार्थियों का चयन क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा किया गया।

शासन एवं बोर्ड की नीति के अनुसार खादी एवं ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना 10हजार की आबादी वाले क्षेत्रों में की जानी है अतः वर्ष 1991-92 हेतु सम्भावित ग्रामों का चयन उद्योग ग्राम के रूप में करने का प्रस्ताव है ताकि इन गावों में ग्रामोद्योगों का सघन विकासकिया जा सके।

	क्रमांक	तहसील	विकासखण्ड	प्रस्तावित ग्राम का नाम
क-	(1)	जालौन	जालौन	गायर
	(2)	,,	माधौगढ	सिरसा दो गढ़ी
	(3)	,,	रामपुरा	पयोखेरा
	(4)	,,	कुठौंद	रकौं
ख-	(1)	कौंच	कौंच	गैंदौली
	(2)	,,	नदीगांव	ब्यौना
ग-	(1)	उरई	डकोर	ऐंधा
घ-	(1)	कालपी	महेवा	दमरास
	(2)	,,	कदौरा	इटौरा

उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जालौन (डिस्ट्रिक प्रोफाइल)

1991-92

उद्योग वार तथा विकास खण्ड वार वितरण का विवरण वर्ष 1990-91

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	उद्योग का नाम	इकाई संख्या	ऋण	अनुदान	योग
(1)	डकोर	चमकला	10	70,000=00	-	70,000=00
		अदा0प्रशोधन	9	10,500=00	-	10,500=00
		ग्रामीणकुम्हारी	2	19,300=00	-	19,300=00
		बांस बेत	8	36,000=00	-	36,000=00
		योग	21	1,35,800=00	-	1,35,800=00
(2)	जालौन	बांस बेत	6	24,075=00	2,925=00 27,000=00	27,000=00
		कुल्हारी	9	89,477=50	4,972=50	94,450=00
		चर्म	10	47,500=00	-	47,500=00
		रेशा	11	39,121=50	11,918=50	51,040=00
		लोह एवं काष्ठ	2	31,500=00	-	31,500=00
		चूना	1	35,000=00	-	35,000=00
		नया उद्योग (डीजलपम्प)	1	30,000=00	-	30,000=00
		योग-	40	2,96,674=00	1,91,816=00	3,16,490=00

{2}	माधौगढ़	बांस बेत	8	33,075=00	2925=00	36,000=00
		काष्ठएवं लोह	6	29,950=00	2350=00	32,300=00
		सेवा {धोबी}	1	4,400=00	-	4,400=00
		चर्म	15	37,500=00	-	37,500=00
		अ0दा0 प्रशोधन	1	4,000=00	-	4,000=00
		ग्रामीण कुम्हारी	11	96,362=50	10237=50	10,237=50
		टेक्सटाइल {सिलाई}	1	8,900=00	-	8,900=00
		फलप्रशोधन	1	10,000=00	-	10,000=00
		गुडखांडसारी	6	1,61,500=00	-	1,61,500=00 ~~32,480=00~~
		रेशा	7	24,895=50	7584=50	32,480=00
		योग-	57	4,10,583=00	22,747=00	4,33,680=00
{4}	रामपुरा	चर्म	9	22,500=00	-	22,500=00
		बांस बेत	1	4,500=00	-	4,500=00
		लौह एवंकाष्ठ	1	6,500=00	-	6,500=00
		ग्रामीणकुम्हारी	1	4,677=50	4,972=50	9,650=00
		रेशा	12	42,678=00	13,002=00	56,280=00
		योग-	24	80,855=50	17,374=50	98,830=00
{5}	कुठौंद	ग्रामीणचर्म	6	42,500=00	-	42,500=00
		ग्रामीणकुम्हारी	6	52,927=50	4,972=50	57,900=00

		बांस बेंत	11	49,560=00	-	49,500=00
		काष्ठ एवं लोह	3	36,300=00	-	36,300=00
		सेवा (नाईगीरी)	1	5,000=00	-	5,000=00
		टेक्सटाइल (सिलाई)	1	8,900=00	-	8,900=00
		अदा0प्रशा0	3	18,500=00	-	18,500=00
		योग-	31	2,13,362=50	4,972=50	2,18,600=00
(6)	कोंच	लौह एवं काष्ठ	5	75,375=00	10,925=00	86,300=00
		अदा0प्रशा0	2	8,000=00	-	8,000=00
		गुड़खाण्डसारी	1	10,000=00	-	10,000=00
		सेवा (धोबी)	1	4,400=00	- ~~4,400=00~~	4,400=00
		ग्रामीण कुम्हारी	3	19,455=00	9,945=00	29,400=00
		टेक्सटाइल	1	42,500=00	-	42,500=00
		ग्रामीण चर्म	12	44,500=00	-	44,500=00
		बांस बेंत	15	67,500=00	-	67,500=00
		रेशम	6	21,339=00	6,501=00	27,840=00
		योग-	46	2,93,069=00	28,071=00	3,20,940=00
(7)	नदीगांव	बांस बेंत	9	37,575=00	2,925=00	40,500=00
		ग्रामीण चर्म	13	32,500=00	-	32,500=00
		तालपत्ती	2	5,240=00	1,560=00	6,800=00

		सेवा (धोबी)	1	2,840=50	1,560=00	4,400=00
		रेशा	8	28,452=00	8,668-00	37,120=00
		योग	33	1,06,607=00	14,713=00	1,21,320=00
(8)	महेबा	ग्रामीणधर्म कला	6	42,500=00	-	42,500=00
		अलयुमो नियम	1	40,000=00	-	40,000=00
		रेशा	6	21,339=00	6,501=00	27,840=00
		टेक्सटाइल	1	42,500=00	-	42,500=00
		योग	14	1,46,339=00	6,501=00	1,52,840=00
(9)	कदौरा	सेवा (नाई)	2	8,050=00	1,950=00	10,000=00
		सेवा (धोबी)	1	4,400=00	-	4,400=00
		टेक्सटाइल	1	8,900=00	-	8,900=00
		ग्रामीणधर्म	5	35,000=00	-	35,000=00
		बांस बैंत	2	9,000=00	-	9,000=00
		लौहएवंका0	2	11,300=00	-	11,300=00
		आन्दाप्रशोधन	2	8,000=00	-	8,000=00
		योग	15	84,650=00	1,950=00	86,600=00
		कुल योग	281			18,84,600=00

स्रोत: डिस्ट्रिक प्रोफाइल एवं एक्शन प्लान जनपद-जालौन-1991-92
उ0 प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जालौन

वर्ष 1990-91 तक जनपद में विकास खण्डवार वितरित आर्थिक सहायता का विवरण

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	विकासखण्ड का नाम	90-91 में वितरित धनराशि इ0सं0	धनराशि	90-91 तक क्रमिक वितरित धनराशि इ0सं0	धनराशि
1.	महेवा	14	1=53	242	15=81
2.	कदौरा	8=15	0=87	175	8=20
3.	जालौन	40	8=16	354	18=11
4.	रामपुरा	24	0=99	61	2=33
5.	कुठौंद	31	2=19	132	7=01
6.	माधौगढ	57	4=34	200	12=39
7.	नदीगाँव	33	1=21	104	5=01
8.	कोंच	46	3=20	309	15=10
9.	डकोर	21	1=36	537	38=43
	योग	281	18=85	2114	122=39

स्रोत- डिस्ट्रिक प्रोफाइल एवं एक्शन प्लान जनपद जालौन-1991-92

जनपद में वर्ष 90-91 तक विभिन्न ग्रामोद्योग के अन्तर्गत कुल 2114 को 122-39 लाख रू0 की धनराशि वित्त पोषित की गई है। जिसमें लगभग 1308 कार्यरत है अवशेष 806 शिथिल एवं मृतस्थित में हैं।

जनपद जालौन में विकास खण्डवार विभिन्न कुटीर उद्योगों में लगी हुयी ग्रामीण महिलायें

विकास खण्ड	उद्योग का नाम	उद्यमीका नाम	पिताकानाम यापतिकानाम	पता	ऋण	अनु0	योग
डकोर	बाँस बेत	श्रीमतीधनकुर	श्री जगराम	ग्रा0पो0 [illegible]हाना	4500/-	-	4500/-
जालौन	कुम्हारी	,, मलका	श्री इलाही	गढगवाँ जालौन	9650/-	-	9650/-
,,	रेशा	,,प्रेमादेवी	बृजबिहारी	लौना जालौन	3556.50	1033.50	4590/-
माधौगढ	बाँस बेत	लक्ष्मी	मेवालाल	सिसौना बंगरा जालौन	3525/-	975/-	4500/-
,,	,,	छुहरी	राजाराम	,,	3525/-	,,	4500/-
,,	रेशाउद्योग	[illegible]केली	गोधन	,,	3556.50	103[illegible].50	4500/-
,,	,,	मायादेवी	रामप्रसाद	,,	,,	,,	,,
,,	,,	छोटीबाई	बलीराम	,,	,,	,,	,,
,,	,,	किशाना	भगवतीप्रसाद	,,	,,	,,	,,
,,	,,	कलावती	मनफूले	,,	,,	,,	,,
रामपुरा	रेशाउद्योग	शोतीदेवी	रामदोहरे	जाजेपुरा (पचोखरा)	,,	,,	,,
,,	,,	बतासी	सरदार	,,	,,	,,	,,
,,	,,	रामावती	बाबूलाल	,,	,,	,,	,,
,,	,,	फूलनदेवी	धनजू	,,	,,	,,	,,

रामपुरा	रेशा उद्योग	सियारानी	लालशाह	लाड़पुरा (पचोखेरा)	3556.50	1033.50	4590
,,	,,	द्रोपदी	मुन्नू	,,	,,	,,	,,
कुठौंद	सिलाई (सेवा)	कैनीबाई	लालाराम	ग्रा० सैदपुर उ० ई०	8900/-	-	8900/-
,,	अनाजदाल प्रशोधन (पापड़बड़ी)	राजा बेटी	राजाराम	करतानपुर	4000/-	-	4000/-
कौंच	रेशा उद्योग	जशोदा	रामलाल	ग्राम भदो-वरा तुमरा	3556.50	1033.50	4590/-
नदीगांव	,,	वीरकुंवर	कंहैयालाल	मऊ कैतपुरा	,,	,,	,,
,,	,,	खरगो	श्रीरामसिंह	,,	,,	,,	,,
,,	,,	गंगो	डब्बू	,,	,,	,,	,,
,,	,,	सुनीता	अजुद्दी	,,	,,	,,	,,
महेवा	रेशा	मुसतियाँ	मटरू	ग्रा०पो० देवकुली जालौन	,,	,,	,,
,,	,,	सविता	महेश्वरीदीन	,,	,,	,,	,,
,,	,,	समरन	गजाधर	,,	,,	,,	,,
,,	,,	फूलारानी	कामतापसाद	,,	,,	,,	,,
,,	,,	सावित्री	भिखारीलाल उर्फ किसान	,,	,,	,,	,,
कदौरा	अनाजदाल प्रशोधन मसाला	शकुन्तला	प्रेमनारायण	आटा	4000/-	,,	1000/-

स्रोत: डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एवं एक्शन प्लान जनपद जालौन 1991-92
उ० प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड जालौन

जनपद जालौन में विकास खण्ड वार गामीण उद्योगों में कार्यरत महिलायें

वर्ष 1990-91

विकास खण्ड	ग्रमीण उद्योग एवं कुल ग्रमीण औद्० इकाइयाँ	योग	पुरूषों द्वारा संचालित इकाइयां	महिलाओं द्वारा संचालित इकाइयां	महिलाओं द्वारा संचालित इकाइयों का कुल इकाइयों से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
डकोर	§1§ग्रामीणचर्म उद्योग	10	10	–	0
	§2§अनाज दाल, प्रशोधन बेकरी	1	1	–	0
	§3§ग्रामीणकुम्हारी उद्योग	2	2	–	0
	§4§बाँस बेंत	8	7	1	12.5
जालौन	§1§बाँस बेंत	6	6	–	0
	§2§कुम्हारी	9	8	1	11.12
	§3§चर्म कला	10	10	–	0
	§4§रेशा उद्योग	11	10	–	9.09
	§5§लौह काष्ठ	2	2	–	0
	§6§नया उद्योग §डीजल पम्प§	1	1	–	0
	§7§चूनाउद्योग	1	1	–	0
माधौगढ	§1§बाँस बेत उद्योग	8	6	2	25.0
	§2§काष्ठ कला	8	6	–	0
	§3§धोबी §सेवाउद्योग§	1	1	–	0

	§4§चर्म उद्योग	15	15	–	0
	§5§अ0दा0प्रशोधन§कुंजी§	1	1	–	0
	§6§रेशा उद्योग	7	2	5	71.4
	§7§ग्रामीण कुम्हारी §रतिकला§	11	11	–	0
	§8§सिलाइ उद्योग	1	1	–	0
	§9§फल प्रशोधन	1	1	–	0
	§10§गुड खांडसारी उद्योग	6	6	–	0
रामपुरा	ग्रामीण चर्म	9	9	–	0
	उद्योग बांस बेत	9	9	–	0
	लौह काष्ठ	9	9	–	0
	कुम्हारी	9	9	–	0
	रेशा	92	6	6	50.0
कुठाँद	ग्राम्मिण चम उद्योग	6	6	–	–
	ग्रामीण कुम्हारी	6	6	–	–
	बांस बेत	11	11	–	–
	काष्ठ कला	3	3	–	–
	लौह कला	3	3	–	–
	सेवा§नाईगीरी§	1	1	–	0
	सिलाई उद्योग	1	0	1	100.00
	अनाज दाल प्रशोधन	3	2	1	33.34

कौंच	काष्ठ एवं लौहकला	5	5	–	0
	अनाज दाल प्रशोधन	2	2	–	0
	गुड खाड सारी	1	1	–	0
	सेवा (धोबी)	1	1	–	0
	ग्रामीण कुम्हारीउद्योग	3	3	–	0
	टैक्सटाइल	1	1	–	0
	ग्रामीण चर्म द्योग	12	12	–	0
	बाँस वेतन उद्योग	15	15	–	0
	रेशम उद्योग	6	5	1	16.67
नदीगाँव	बाँस वेत	9	9	–	
	चर्म उद्योग	13	13	–	
	ताल पत्ती उद्योग	2	2	–	
	सेवा (धोबी)	1	1	–	
	रेशा उद्योग	8	4	4	50.00
महेवा	चर्म कला	6	6	–	
	एल्युमिनियम	1	1	–	
	रेशम उद्योग	6	1	5	83.34
कदौरा	सेवा (नाईगीरी)	2	2	–	
	सेवा (धोबी)	1	1	–	
	सिलाई उद्योग	1	1	–	
	ग्रामीण चर्म उद्योग	5	5	–	

बांस बेत उद्योग	5	5	–
काष्ठ एवं लौह कला	2	2	–

जनपद जालौन में ग्रामीण उद्योग वार महिलाओं द्वारा संचालित इकाइयाँ

विकासखण्ड

ग्रामोद्योग	डकोर	जालौन	माधौगढ	~~हxxैद~~ रामपुरा
1	2	3	4	5
चर्म उद्योग	–	–	–	–
अनाज दाल प्रशोधन	–	–	–	1
कुम्हारी उद्योग	–x*	x1	–	–
बांस बेत	1	–	2	–
रेशा उद्योग	–	1	5	6
लौह काष्ठ	–	–	–	–
नया उद्योग (डीजलपम्प)	–	–	–	–
चूना उद्योग	–	–	–	–
धोबी सेवा उद्योग	–	–	–	–
सिलाई उद्योग	–	–	–	–
फल प्रशोधन	–	–	–	–
गुड खांडसारी	–	–	–	–
सेवा नाईगिरी	–	–	–	–
टैक्सटाइल	–	–	–	–
14 ईकाइयाँ	1	2	7	6

कुठौंद	काँच	नदीगांव	महेवा	कदौरा	कुलडकाइयाँ
6	7	8	9	10	11
–	–	–	–	–	0
1	–	–	–	×1	2
–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	3
–	×1	4	5	–	22
–	–	–	–	–	0
–	–	–	–	–	0
–	–	–	–	–	0
–	–	–	–	–	0
1	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	0
–	–	–	–	–	0
–	–	–	–	–	0
–	–	–	–	–	0
2	2	4	5	1	29 कुल डाइ

स्रोत- डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल 1991-92

जनपद जालौन में उद्योगवार महिलाओं द्वारा संचालित इकाइयों की वित्तीय स्थिति

उद्योग	कुल इकाइयाँ	ऋण	अनुदान	योग
ग्रामीण चर्म	–	[illegible] –	–	–
अनाज दाल प्रशोधन पापड़ बरी	2	8000	–	8000
कुम्हारी उद्योग	1	9650	–	9650
बांस बेंत	3	11550	1950	13500
रेशा उद्योग	22	78243.00	22747.00	100990
लौहकाष्ठ	0			
नया उद्योग (डीजल पम्प)	0			
चूना उद्योग	0			
धोबी (सेवा उद्योग)	0			
सिलाई उद्योग	1	8900	–	8900
फल प्रशोधन	–		–	
गुड़ खांडसारी	–			
सेवा नाईगीरी	–			
टैक्सटाइल	=			
कुल		116343 कुल ऋण	24697.00 कुल अनुदान	141040 कुल योग

स्रोत – डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एवं एक्शन प्लान जनपद जालौन–1991–92

ग्रामीण महिलाओं को कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में कठिनाइयाँ

कुटीर उद्योग और देश की अर्थव्यवस्था के मध्य घोली दामन का संबंध होते हुये यह कई समस्याओं के भंवर जाल में फंसा हुआ है। अखिल भारतीय लघु स्तरीय उद्योग बोर्ड द्वारा गठित स्टेण्डर्स कमेटी ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि कार्य शील पूँजी की कमी एवं अपर्याप्त तथा अनिश्चित वित्तीय सहायता लघु तथा कुटीर क्षेत्र की इकाइयों में बीमार होने का मुख्य कारण है। 30% रूग्णता का कारण कार्यशील पूँजी की कमी 13% रूग्णता का कारण उत्पादन की मॉग में कमी 10% रूग्णता का कारण कुप्रबन्ध है।

परम्परागत कुटीर उद्योग में अनेक कठिनाइयां एवं समस्यायें है। इन कठिनाइयों एवं समस्याओं के कारण जहाँ एक ओर उत्पादकों को पर्याप्त लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। वही दूसरी ओर इस कार्य में संलग्न महिला श्रमिकों का जीवन ऊचा नहीं उठ पा रहा है। महिला श्रमिकों की समस्यायें उतनी आसान नहीं है जितनी देखने में लगती है। आजादी के बाद जो भी सरकार आयी, उसने महिला श्रमिकों के कल्याण की योजना बनायी, लेकिन उन पर कार्यान्वयन न ले पाया। आज भी महिला श्रमिक सरकार की ओर निहार रही है कि वह कब उस पर ध्यान देगी। समाज के निर्माण में उनका योगदान कोइ कम तो नही है कुछ क्षेत्रों में महिला मजदूर न के बराबर है जैसे रेलवे कुली, यह काम बोझा उठाने व भाग के सम्बन्धित है, इसलिये महिला श्रमिकों के अनुकूल

नहीं है लेकिन यह देखकर सभी को आश्चर्य होगा कि रिक्शा चलाने जैसी मेहनती काम में कुछ महिलायें देखी जा सकती है केवल दिल्ली में ही दो तीन रिक्शा चालक है इसमें अलावा यहाँ एक महिला टैक्सी ड्राइवर भी है।

कुटीर उद्योगों की सबसे प्रमुख बाधा आर्थिक बाधा है। भारतीय कारीगरों की गरीबी और ऋण के विषय में किसी तरह की टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्हें सस्ती और समुचित ऋण सुविधायें भी प्राप्त नहीं है। साधारणतः बैंक, कारीगरों को, ऋण नहीं देते है। और सहकारी समितियों की संख्या बहुत कम है। अतः उन्हें अधिक ऋण नहीं मिलता है कारीगरों के लिए दो ही मार्ग बच जाते है महाजन और कारखानेदार महाजन प्रायः अधिक सूद की दर लेते है। वे कारीगरों को कम मूल्य पर वस्तुओं को बेचने के लिए बाध्य करते है। इससे उद्योग के निरन्तर संचालन में बाधा पड़ती है। अधिकांश कारीगर तो अपने लिये काम भी नहीं करते है। वे प्रायः किसी कारखाने या व्यापारी के लिए कार्य करते है। वे उन्हें आवश्यक कच्चा माल देते है वे मजदूरी के लिय अग्रिम धन भी देते है तथा अन्य आवश्यक सामान भी देते है और निश्चित मात्रा में उनके माल को खरीदने का वचन भी देते है। ये व्यापारी कारीगरों की आवश्यकता और अज्ञानता का लाभ उठाकर शोषण करते है। आर्थिक सहायता देने की जो प्रणाली है इससे कच्चे माल के लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है। इससे हाथ के द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रतिस्पर्द्धा क्रय शक्ति कम हो

जाती है। दूसरा परिणाम यह होता है कि कारीगर कम मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य हो जाते है इस प्रकार वे उचित लाभ से वंचित रह जाते है। यह त्रुटि सहकारी साख संगठनों द्वारा दूर की जा सकती है।

कारीगरों की आर्थिक आवश्यकतायेंविभिन्न प्रकार की होती है। उनमें कच्चे माल औजार तथा दूसरे सामान की खरीद सम्मिलित है उत्पादन के समय तथा बिक्री के समय स्थान की समस्या भी, इसी के अन्तर्गत है। वर्तमान समय में महाजन, बैंक मालिक, सहकारी समितियाँ, राज्य तथा कारखाने दार ही उन्हें धन देते है। इनमें अन्तिम का स्थान बडा ही महत्वपूर्ण है। नियंत्रित संयुक्त स्कन्ध अधिकोष कारीगरों को अग्रिम ऋण नहीं देते है। प्रारम्भ से ही केन्द्रीय अधिलोष जाँच समिति ने राज्य और सहकारी समितियों द्वारा अधिक सूद की दर का अनुमोदन किया था। कुछ राज्यों ने कुटीर और लघु उद्योगों को सहायता देने के लिए विधान भी बनाया। आशा की जाती है कि देश में सहकारिता आन्दोलन का द्रुत विकास बहुत हद तक समस्याओं का हल कर देगा।

कुटीर उद्योगों की दूसरी बाधा अनुचित संगठन की है। वर्तमान प्रणाली में सबसे बडी त्रुटि यह है कि कारीगरों को आर्थिक सहायता देने वालों की दया पर बहुत अधिक निर्भर रहना पडता है। अधिक मात्रा में कच्चा माल औजार तथा मशीनों की खरीद संभव नहीं है। परिणामस्वरूप अधिकांश बाहरी आर्थिक सहायता उचित मात्रा में नहीं प्राप्त हो हो पाती है। सबसे उत्तम समाधान सहकारी समितियों का निमार्ण है। ऐसी सहकारी समितियों को राज्य सरकार की स्वीकृति तथा सहायता मिलनी चाहिए।

कुटीर उद्योगों की तीसरी कठिनाई उपयुक्त बाजार के अभाव की है यह आवश्यक है कि कारीगरों को अपने परिश्रम का फल मिलना चाहिये। यहाँ पर सहकारी विक्रय संगठन बहुत बड़ी भलाई करेगा। राज्य के आधार पर या राष्ट्र के आधार पर लघु सहकारी विक्रय संगठनों को सुविधा प्रदान करने के लिये केन्द्रीय विक्रय संघ की स्थापना होनी चाहिये। "केन्द्रीय कुटीर उद्योग परिषद" ने इस दिशा में प्रमुख विकास का प्रस्ताव किया है। कुछ राज्य सरकारों ने जिनमें उत्तर प्रदेश, आसाम और काश्मीर राज्य उल्लेखनीय है हस्तकला केन्द्र स्थापित कर दिये गये है। कर्नाटक राज्य गृह उद्योग द्वारा बहुत प्रमुख कार्य हुये है। कुटीर उद्योगों की अन्य छोटी छोटी कठिनाइयाँ ज्ञान, अनुसन्धान, शिक्षा और उत्पादन के समुचित साधन की कमी है। इस वैज्ञानिक आविष्कार और अनुसंधान के युग में उत्पादन प्रणाली में प्रतिदिन परिवर्तन होते रहते हैं। इसके अतिरिक्त पसन्द भी स्थिर नहीं है। इस तरह के द्रुत परिवर्तन होने वाले संसार में पुरानी प्रणालियों का कोई स्थान नहीं है।

कुटीर उद्योग का कोई भी कार्यकर्ता नवीन प्रणाली सीखने के लिए विदेश नहीं जा सकता। दूसरे देशों में श्रमिकों के लिये क्लब और संघ आदि स्थापित किये है जहाँ श्रमिक अपनी कठिनाइयों पर विचार विमर्श करते है और उन्हें हल करने का प्रयत्न करते है। पर हमारे यहाँ की पंचायत किसी व्यक्तियों को निष्कासित करने के लिये बैठती हैं तथा कथित जनता या सरकारी विशेषज्ञ साधारणतः श्रमिकों की भाषा में बातें नहीं करते।

कुटीर उद्योगों के वर्तमान उद्यमियों एवं प्रबन्धकों को भी समय-समय पर शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। देश में उद्यम प्रवृत्ति के व्यापक विकास की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता उद्यमिता विकास को अंत्र जन आन्दोलन के रूप में विकसित किया जाना चाहिये। भारत जैसे विकासशील देश जहाँ गरीबी और बेरोजगारी की समस्या विकराल है, में बुनियादी समस्याओं के समाधान हेतु उद्यमिता विकास को नये उत्साह व जोश के साथ गति देनी चाहिये। नये उद्यमियों को अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने हेतु सरकार व बैंक से हर संभव सहयोग सहायता मिलनी चाहिये। तभी नये-ये उद्यमी पनप सकेंगे। इससे देश में शिक्षित लोगों में बाबूगीरी प्रवृत्ति कम होगी तथा श्रम को मान्यता प्राप्त होगी जिसके सुप्रभाव से उत्पादन व उत्पादकता में वृद्धि होगी।

30 नवम्बर 1988 को नयी दिल्ली में खेतिहर मजदूरों के उत्थान के लिये जिसमें महिलाओं का समस्याओं पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अन्तर्गत है।

"हमने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है। जिसमें महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं के अनेक पहलुओं की ओर ध्यान दिया गया। उसमें ऐसे अनेक सुझाव शामिल हुये जिनेलबारे में यहाँ पर विचार विमर्श करने वाले है इसका बुनियादी लक्ष्य सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन लाना है। जिसके जरिये समाज ने स्त्रियों को बांध रखा

है। जिनकी वजह से स्त्रियों का दमन किया जा रहा है। घोषणा पत्र में व्यवस्था है। कि स्त्रियों के सम्मान के साथ मान्यता के साथ और हमारे देश के आर्थिक जीवन में पूरे योगदान के साथ पूरी तरह शामिल किये जाये। यह शक्ति सहायता राष्ट्र निर्माण के लिए घोषणा पत्र है।

परन्तु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में उन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पहलुओं पर व्यापक रूप से प्रकाश डाला गया। जो स्त्रियों के विकास को प्रभावित करते है इसमें एक कमी है अपेक्षित प्रौद्योगिकी के बारे में पर्याप्त प्रकाश नहीं डाला गया है। मुझे आशा है कि आज आप जो विचार विमर्श करेंगे उससे इन छोटी छोटी कमियों के दूर करने में मदद मिलेगी।

— श्री राजीव गांधी

महिलाओं को हर प्रकार से सुविधायें देकर उनके स्वाभाविक गुणों को विकास कर उन्हें देश की विकास गतिविधियों में शामिल करने के लिए नये कार्यक्रम शुरू किये गये है। इस दिशा में "महिला विकास निगम" नामक एक नयी योजना शुरू की गयी।

महिला योजना एवं निगरानी कक्षों की स्थापना की जायेगी। कुछ प्रेरक योजनाओं के लिये के लिये धन की व्यवस्था की गयी है और अपेक्षित सफलता मिलने पर उनका अधिक विस्तार किया जायेगा।

अनुसंधान और विकास प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रम के निर्धारण व कियान्वयन के उद्देश्य से महिलाओं के लिये विज्ञान टेक्नोलोजी विषयक

कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ किया जायेगा। तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को लाभप्रद रोजगार, स्वरोजगार उपलब्ध कराने और धरेलू कामधाज की नीरसता को तोडकर काम सुगम बनाने पर बल दिया।

जिला उद्योग केन्द्र ही एक ऐसा सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण है जो महिला कारीगरों को गरीबी रेखा के ऊपर ला सकता है। तथापि जिला उद्योग केन्द्र का कार्य उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिये। जैसे तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण करना, विविध उत्पादनों के लिए विपणन क्षमता की पहचान करना, होनकार उद्यमियों की सहायता करना, उनको प्रशिक्षण करना और गुणवत्ता नियन्त्रण के उपयों को खोज निकालने की शुरूआत करना। अग्रणी बैंक जिला साख योजना तैयार करता है जबकि जिला उद्योग केन्द्र का कार्य योजना तैयार करना है। किसी विशेष विभाग से सम्बन्धित योजना को ये दोनो ही राज्य द्वारा निर्धारित ढांचे में चलाते है व्यावहारिक तौर पर इन दोनों में संपर्क की कड़ी बहुत ही कमजोर है।

राज्य सरकारों द्वारा जिला उद्योग केन्द्रों को महत्तर अधिकार दिये जाने की शायद आवश्यकता है, विशेषकर कच्चेमालों, औद्योगिक शालाओं के आवंटन विद्युत, मार्जिन धनराशि, विनियोग, उपदान और प्रोत्साहन के सम्बन्ध में। तकनीकि और व्यावसायिक तौर पर सक्षम बनाने के लिये जिला उद्योग केन्द्र को पुर्नगठित करने की आवश्यकता है।

ग्रमीण करीगरों को निस्सन्देह संस्थात्मक सहायता की आवश्यकता होती है किन्तु अनियोजित सहायता से कारीगरों को बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है इस प्रकारकी सहायता सही समय में और सही क्रम में पहुंचनी चाहिये। यह कार्य सफलता पूर्वक पूर्ण किया जा सकता है। यदि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अग्रणी बैंक और जिला उद्योग केन्द्रों के बीच घनिष्ठता से सुपात्र कारीगरों तथा उनकी वास्तविक आवश्यकताओं को पहचान तथा करने, सही किस्म की सहायता करने और ग्रामीण कारीगर परिवारों द्वारा की गई प्रगति की निकट से तथा आवधिक तौर पर मनीटरिंग करने में सहायता मिलेगी। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 50333 परिवारों को लाभान्वित कराया गया।

निर्बल वर्ग आवास योजना:-

वर्ष 89-90, 90-91 में 920 आवास इस योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये गये जो कि लक्ष्य का 40.4% था। अब तक इस योजना के अन्तर्गत 3992 आवास निर्मित कराये गये। अब तक निर्मित इन्दिरा आवासों की संख्या 1278 रही है।

हरिजन पेयजल योजना:-

इस योजना के अन्तर्गत पेयजल जीवन के लिये सबसे उत्तम सुविधा मानते हुये जनपद में 757 ग्रामों ग्रामों में पेयजल कूपों व हैण्डपम्पों का निर्माण कराया गया व पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी गयी।

जवाहर रोजगार योजना:-

वर्ष 89-90, 90-91 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम को मिला कर शासन में जवाहर रोजगार योजना करायी। इस कार्यक्रम को अन्तर्गत वर्ष में 17.12 लाख के विपरीत 17.15 लाख मानव दिवसों का सृजन कर ग्रामीण लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 551.57 लाख रू0 जनपद में व्यय किये गये और गांव पंचायतों द्वारा लोकोपयोगी अस्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया गया है।

स्वास्थ एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम:-

जनपद में 12 मुख्य एवं 237 उप परिवार कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं वर्ष 89-90, 90-91 में 3937 पुरूष/महिलाओं के नसबंदी आपरेशन कराये गये। 13443 ने लूप निर्देशन कराया इस प्रकार जनपद की जनसंख्या में नियंत्रण एवं जन्म दर घटाने हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम:-

उपरोक्त वर्णित व कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 89-90, 90-91 में सिंचन क्षमता कृषि उत्पादन में वृद्धि, बायोगैस संयंत्रों की स्थापना अनौपचारिक प्रौढ़ शिक्षा के अतिरिक्त ग्रामीण एवं लघु उद्योगों को स्थापित कराकर रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने का भी लक्ष्य रहा है। पर्यावरण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुये मलिन बस्तियों में स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार हेतु कार्य किये गये।

वर्ष 89-90, 90-91 में निजी लघु सिंचाई के 4.06 हे0 में अतिरिक्त सिंचित क्षमता सृजित की गयी जो लक्ष्य का 11.8% रही। राजकीय लघु सिंचाई

सिंचाई की उपलब्धि लक्ष्य की ढाई गुना हुयी जो वास्तव में 1000 है0 थी. सूखी जमीन पर खेती कर उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम विशेष रूप से चलाया गया जिसकी उपलब्धि 126.4% रही। वृक्षारोपण जनपद में विशेष उत्साह से चलाया गया जिसमें वर्ष 89-90, 90-91 में 93.09 लाख पौधे रोपित किये गये जो लक्ष्य का 101.2% लाख रही। तेग एवं मलिन बस्तियां सुधार कर 20976 हजार व्यक्तियों को पर्यावरण, सुधार की 7 प्राथमिक सुविधायें प्रदान कर लाभान्वित कराया गया। अनौपचारिक शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा की दृष्टि से अब तक 124.88 हजार प्रौढ़ो को शिक्षित कराया गया। लघु उद्योग की2056 एवं दस्तकारी की 8748 नई इकाइयां स्थापित कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग के विकास का प्रयास किया गया। 519 सस्ते गल्ले की दुकान खोलकर क्षेत्रीय जनता को आवश्यक वस्तुयें एवं खाद्यान्न उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया गया।

निष्कर्ष एवं सुझाव

भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों का विकास अनिवार्य है क्योंकि हमारे देश की 80% जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जो कि कृषि पर आधारित है।

देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु क्षेत्रीय विषमताओं सामाजिक, कुरीतियों आदि को दूर करने के लिये, दृढ़ इच्छा शक्ति व इमानदारी से कार्यक्रमों के परिपालन में जनता का व्यापक सहयोग लेना अति आवश्यक है।

भारतीय संविधान में महिलाओं को प्रत्येक क्षेत्र में समानता के अधिकार एवं दायित्व निभाने हेतु प्रावधान है, परन्तु संविधान की इस भावना को सामाजिक स्तर पर पूर्ण सम्मान एवं सहयोग प्राप्त होना भी आवश्यक है। देश की अर्थव्यवस्था में आर्थिक सहयोग के लिये महिलाओं के योगदान को नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। आज के आधुनिक दौर में महिलाओं के विकास को प्रत्येक क्षेत्र में शामिल

किया जा रहा है परन्तु ग्रामीण सामाजिक स्तर पर महिलाओं को

को केवल घरेलू कार्य हेतु दायित्व निभाने का अधिकार है जबकि महिलायें घरेलू दायित्व के साथ ही अर्थव्यवस्था में योगदान हेतु कुटीर उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती हैं।

सर्वेक्षित जनपद जालौन में कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं के योगदान के संदर्भ में निम्न तथ्य प्रकाश में दृष्टिगत हुये हैं, जिनका क्रमशः विवरण दिया जा रहा है।

1. जनपद में वर्ष 1990-91 में ग्रामीण महिलाओं द्वारा चालित इकाइयों में प्रतिशत मात्र 9% रहा है जबकि शेष इकाइयां पुरूषों द्वारा चालित की जा रही थी।
2. जनपद में प्रमुख रूप से रेशा, बेंत, सिलाई व अनाजदलन प्रशोधन कुटीर उद्योगों में ग्रामीण महिलाओं ने योगदान दिया है।
3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु जवाहर रोजगार योजना में 30% स्थान आरक्षित किये गये हैं।
4. जनपद में महिलाओं में उद्यमिता क्षेत्र में व्यापक जानकारी एवं मार्ग दर्शन हेतु समय-समय पर अनेक शिवरों का आयोजन किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को ग्राम्य स्तर पर नये नये कुटीर उद्योगों को संचालित करने हेतु ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत अनेक शिवरों का आयोजन किया जा चुका है। इस योजना के अन्तर्गत आयोजित शिवरों में विभिन्न उद्योग केन्द्र, बैंक, व अन्यविभिन्न ऐजेन्सियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इससे महिलाओं में

कुटीर उद्योगों के प्रति जागृति उत्पन्न हुयी। इस योजना में भी महिलाओं के लिये 33.3% स्थान आरक्षित किये गये हैं।

5. लोक कार्यक्रम तथा ग्राम टेक्नोलाजी परिषद(कापार्ट) के द्वारा ग्र विकास योजनाओं को जनता की भागीदारी से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से स्वयं सेवा तथा गैर सरकार ऐजेन्सियों की सहायता लेता है। कापार्ट द्वारा महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम हेतु धन भी उपलब्ध कराया जाता है एवं इस परिषद द्वारा ग्रामीण तकनीकों तथा नये साधनों को प्रोत्साहित किया जाता है। जिसके माध्यम से घर के कामकाज एवं अन्य गतिविधियों में महिलाओं पर काम के बोझ कम करने में सहायता मिल सके।

6. जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से भी महिलाओं द्वारा संचालित लघु इकाइयों जैसे चमड़ा और बैग उद्योग, रेडीमेट कपड़ों का उदैयोग एवं सिलाई केन्द्र तथा ऐसी ही अन्य इकाइयों के लिये सहायता पदान की जाती है।

7. जनपद में साक्षरता दर में वृद्धि अवश्य हुयी है परन्तु यह वृद्धि पुरुषों की तुलना में आधी से भी कम रही है। 1971 के दशक में 12.4% स्त्री व 40.2% पुरुष साक्षर थे जबकि 1981 की दशक में 19.0% स्त्री व 50.2% पुरुष साक्षर हो गये।

8. कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलायें बीजरोपण से फसल कटाई तक पुरुषों के साथ बराबर का सहयोग देती है। साथ ही पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करती है।

9. जनपद में ग्रामीण महिलाएं अन्य कुटीर उद्योगों में भी संलग्न रहती है जैसे मिट्टी के बर्तन एवं खिलौने साथ ही समय2 पर कृषि कार्य हेतु मांग किये जाने पर कृषि औजार भी कुटीर उद्योग के अन्तंगत महिलाओं एवं पुरूषों के सहयोग से निर्मित किये जाते हैं।

10. ग्रामों को नगरों से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा विकास खण्ड स्तर पर अनेक योजनाएं सड़क व खड़ंजा निर्माण हेतु चलाइ जा रही हैं जिससे ग्राम्य स्तर पर परिवहन क साधनों का व्यापक प्रसार हो सके। जो कुटीर उद्योगों का माल विपणन करने के लिये आसान होता है।

11. ग्रामीण विद्युतीकरण करने हेतु अनेक योजनाएं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा संस्तुत की गइ है और अन्य अविद्युतीकृत ग्रामों हेतु अनेक योजनाऐं प्रस्तावित हैं। कुटीर उद्योग में कुछ ऐसी मशीनें होती है जिनमें विद्युत पयोग करने से माल उत्पादन में आसानी हो जाती है।

सुझाव :

1. पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं द्वारा उद्योग चालन था अन्य सामाजिक आर्थिक गतिविधियों में भाग लेना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छा नहीं माना जाता और महिलाओं को घर तक सीमित रहने की, उनकी मान्यता रही है। अतः ग्राम्य स्तर महिलाओं की भागीदारी प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु सामाजिक विचारों में रूढ़वादी प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाना अति आवश्यक है इसके लिए, ग्राम्य स्तर पर साक्षरता कार्यक्रमों को अति प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाए, जैसा कि दृष्टिगत होता है कि इन कार्यक्रमों को ईमानदारी से लागू नहीं किया जाता है। अतः साक्षरता कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की विशेष आवश्यकता है, साक्षरता द्वारा ही व्यक्ति सामाजिक बुराइयों एवं रूढ़ियों के प्रति अपनी सोच में परिवर्तन ला सकता है जिससे महिलाओं का सामाजिक व आर्थिक दायित्वों में प्रभावकारी योगदान प्राप्त किया जा सकेगा।

2. जनपद में महिलाओं द्वारा चालित कुटीर उद्योगों के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे उद्योग है जिनकी ओर भी महिलाओं की जागृत करने की आवश्यकता है जैसे बैग कुटीर उद्योग इस उद्योग के माध्यम से महिलाएँ अपने समय का उचित उपयोग करके पर्याप्त धनार्जन कर सकती है। इसके अतिरिक्त जनपद में मसूर, चना, मटर, मूँग व

आदि का पर्याप्त उत्पादन होता है इनके माध्यम से दाल मोंठ कुटीर उद्योग को ग्राम्य स्तर पर चलाने हेतु सरकार द्वारा प्रोत्साहित देने की आवश्यकता है।

3. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में परिवहन का विशेष महत्व है जिसके लिए सड़क निर्माण अति आवश्यक है। परिवहन साधनों के अभाव में ग्रामीण विनिर्मित वस्तुओं को बड़े बाजारों व मण्डियों में भेजने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है साथ ही अधिक परिवहन लागत भी लगानी पड़ती है अतः जनपद में ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये परिवहन साधनों का व्यापक विकास करना अति आवश्यक है बल्कि अन्य विकास कार्यक्रमों से अधिक महत्व देने की आवश्यकता है।

4. ग्रामीण विद्युतीकरण का भी, ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक परिवेश में प्रविष्ट होते ही हमारी अर्थव्यवस्था में अनेक विद्युत चालित घरेलू साज सामान की उपलब्धता है इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित रूप से विद्युत आपूर्ति की जाए जिससे उद्योग व कुटीर उद्योग में प्रयोग में आने वाले उपकरणों का प्रयोग हो सके इससे श्रम व समय के साथ साथ लागत में भी बचत हो सकेगी जिसका प्रभाव उत्पादित वस्तु के स्तर तक उसकी कीमत पर पड़ेगा।

5. ग्रामीण महिलाओं में कुटीर उद्योगों के प्रति जागृति उत्पन्न करने के लिए उन्हें अपने तंत्र बनाने हेतु भी प्रोत्साहित करना चाहिए

और इन संघों के संचालन हेतु सरकार को वित्तीय सहायता व मार्ग दर्शन करना चाहिए।

6. ग्रामीण पुरुषों को इस बात का एहसास कराना सरकार का दायित्व है कि महिलाओं के आर्थिक क्रिया कलाप से उनके परिवार को अधिक लाभ होगा व उनका सामाजिक स्तर निम्न न हो कर बल्कि उच्च होगा।

7. कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने वाली ऐजेन्सियों को ग्राम्य स्तर पर सर्वेक्षण करके महिलाओं को कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ऋण व अनुकूल मार्ग दर्शन देना चाहिये।

8. जैसा कि आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण महिलाओं का योगदान कुटीर उद्योगों में नगण्य रहा है इस बात का द्योतक है इसके विकास के लिए संचालित योजनाओं का प्रभाव उचित नहीं रहा है अतः योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए। ईमानदारी से योजनाओं को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है और इसके लिये समय समय पर बड़े अधिकारियों का पैनल गठित करके सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि स्थिति का सही स्वरूप सामने आ सके।

सन्दर्भ सूची

ग्रन्थ

अग्रवाल एन. एन. – भारतीय अर्थव्यवस्था

उपाध्याय, सी.बी., मामोरिया – कृषि अर्थशास्त्र

डा0 कुलश्रेष्ठ, आर.एस. – भारतीय औद्योगिक अर्थव्यवस्था

मिश्रा पी.एल. एवं सक्सेना – भारत की आर्थिक समस्यायें

आर0सी0 – एवं विकास

मामोरिया एवं जैन – भारतीय अर्थव्यवस्था

सुन्दरम् के.पी.एम. एवं रुद्रदत्त – भारतीय अर्थशास्त्र

श्वेट के.के. – भारतीय अर्थव्यवस्था

श्रीवास्तव, जे.एन. निगम – भारतीय अर्थव्यवस्था

भटनागर, के.पी. निगम, अन्तराय – भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था

जे. पी. एस.

Ghosh Alak – Indian Economy

पत्र-पत्रिकायें एवं रिपोर्ट –

Census of India 1991 UTTAR PRADESH

Provisional population Totals

-Vijendra poul-Derector of

Census operations, UTTAR PRADESH

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

नये ग्राम उद्योग

कुरुक्षेत्र-ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

खादी ग्रामोद्योग- ग्रामीण अर्थ विषयक पत्रिका

सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 1989

-अर्थ एवं संख्या प्रभाग राज्य नियोजन उत्तर प्रदेश

सांख्यिकी पत्रिका- झांसी मण्डल 1989

उपनिदेशक-अर्थ एवं संख्या

झांसी मण्डल झांसी

सामाजार्थिक समीक्षा वर्ष- 1989-90

जनपद जालौन-जिला अर्थ एवं सांख्यिकी कार्यालय

जालौन स्थान उरई

ग्रामोद्योगों में विपणन समस्या एवं सुझाव

प्राचार्य मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण

केन्द्र कालपी, जनपद जालौन उ० प्र०

ग्रामीण विकास पत्रिका-ग्रामीण विकास विभाग की ओर से

ग्रामीण विकास न्यूजलेटर-ग्रामीण विकास मंत्रालय 1991

डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल एवं एक्शन प्लान जनपद जालौन 1991-92

उ०प्र०खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जालौन

योजना-योजना और विकास को समर्पित

भारत के नव निर्माण का पाक्षिक

लघु उद्योगों की परियोजना प्रतिवेदन एवं उत्पादन

वयन प्रक्रिया - प्राचार्य, मण्डलीय ग्रामोद्योग

प्रशिक्षण केन्द्र कानपुर

जयपुर जालौन उ० प्र०